

S.N. 482

00968



सत्यमेव जयते

भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व सेक्टर
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1

© भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

दिनांक 04 मार्च 2014 को
विधान सभा को प्रस्तुत की गई।

भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1

Handwritten text at the top left, possibly a date or page number.

1917

1917 - 1918

1917 - 1918

1917 - 1918

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-x
अध्याय – 1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत	1.3	5
कुल बकायों तथा पांच वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.4	6
संग्रहण का विश्लेषण	1.5	8
कर का अपवंचन	1.6	9
रिफंड मामलों की लंबनता	1.7	9
लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर	1.8	10
उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	1.8.1	10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.8.2	11
अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.8.3	12
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.8.4	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.8.5	13
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.8.6	14
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.9	14
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.9.1	15
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन	1.9.2	16
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.9.2.1	16

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.9.2.2	17
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	18
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.11.1	18
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.11.2	18
अध्याय - 2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंध	2.1.1	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1.2	19
“रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	21
कर की गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण	2.3	32
बिक्रियों/क्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवचन	2.4	34
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.5	37
अध्याय - 3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंध	3.1.1	39
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.2	39
लाईसैंसधारकों से लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली	3.2	40
शराब के तिमाही कोटे से कम कोटा उठाने के लिए जुर्माने का अनुद्ग्रहण/अवसूली	3.3	43
अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण/अवसूली	3.4	43
अध्याय - 4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंध	4.1.1	45
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.2	45
विकास करारों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण एवं संग्रहण	4.2	47

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
अचल सम्पत्ति की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.3	48
अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.4	49
दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन	4.5	50
अचल सम्पत्ति के अव-मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन	4.6	50
स्टाम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ	4.7	51
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.8	51
अध्याय – 5		
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रबंध	5.1.1	53
यात्री एवं माल कर	5.1.1.1	53
वाहनों पर कर	5.1.1.2	53
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.2	54
“मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5.2	55
सहकारी परिवहन समितियों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	5.3	67
अध्याय – 6		
अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.1	69
भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों की वसूली	6.2	70
खदान एवं भू-विज्ञान विभाग		
रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	6.3	72

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	अनुच्छेद
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/ जिनके 30 सितम्बर 2013 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.8.5	75
II	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारशों के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है	1.8.5	76
III	31 मार्च 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण	1.9.1	77
IV	वर्ष 2003-04 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल समीक्षाओं तथा सिफारिशों के विवरण	1.9.2.2	78
V	वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा योजना	1.10	79
VI	ऐसे मामले, जिनमें फर्स्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया था	6.2.7	80
VII	ऐसे मामले, जिनमें नोटिस जारी किए गए किंतु दिए नहीं गए	6.2.7	80
VIII	ऐसे मामले, जिनमें चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे किंतु राशि वसूल करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी	6.2.7	80
शब्दावली		81-82	


प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।


राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की बिक्रियों, व्यापार पर करों/मूल्य वर्धित कर, स्टॉम्प शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, यात्री एवं माल कर, अन्य कर से समायुक्त प्राप्तियों तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2012-13 के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2012-13 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



ओवरव्यू



ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 636.10 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित करों, ब्याज एवं पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, आबकारी शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित “रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” तथा “मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों” पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं और अन्य अभ्युक्तियों सहित 18 अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय - 1

सामान्य

वर्ष 2012-13 हेतु राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 30,557.59 करोड़ की तुलना में ₹ 33,633.53 करोड़ थी। इनमें से 84 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 23,559.00 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,673.15 करोड़) के माध्यम से उगाहा गया था। शेष 16 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 3,062.13 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹ 2,339.25 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया था। गत वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,075.94 करोड़ तक वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर, अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के 265 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 7,508 मामलों में कुल ₹ 1,735.68 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष 2012-13 के दौरान विभागों ने 2,285 मामलों में ₹ 19.19 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 207 मामलों में ₹ 1.36 करोड़ वसूल किए।

(अनुच्छेद 1.11.1)

2. अध्याय - 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

“रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

अपील मामलों की संख्या 2,993 से 3,399 तक बढ़ गई जबकि रिमांड मामले 717 से 1,507 तक बढ़ गए।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.8.3)

रिमांड मामलों को फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 33 मामलों में ₹ 3.20 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ और एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत ₹ 3.91 करोड़ के 34 मामलों के फाइनल करने में 20 से 42 माह तक विलंब था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4 तथा 2.2.8.5)

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों को समय के अंदर, फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 198 मामलों में ₹ 20.10 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 6.33 करोड़ की राशि के समय बाधित 83 मामले विलंब से फाइनल हुए।

{(अनुच्छेद 2.2.8.6 (i) तथा (ii))}

छियत्तर रिमांड मामले अब भी लंबित पड़े थे परिणामस्वरूप ₹ 19.86 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 3.54 करोड़ के कर वाले 78 रिमांड मामले एक से 53 महीनों के बीच विलंब के बाद फाइनल किए गए थे।

{(अनुच्छेद 2.2.8.7 (i) तथा (ii))}

संपादन लेखापरीक्षा

133 डीलरों के संबंध में अवर्गीकृत मदों के संबंध में कर की गलत दर के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 89.39 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.1.1)

बिक्रियों के छिपाव/आई.टी.सी. के झूठे दावों के 14 मामलों में यद्यपि विभाग ने उपयुक्त कर उद्गृहीत किए किंतु ₹ 440.76 करोड़ की राशि की अनिवार्य पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 2.4.1)

निर्माण में उपयोग की गई तथा रिटर्नों में न दर्शाई गई सामग्री का सत्यापन करने में ए.ए.ज की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ की राशि के वैट का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 11.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 2.4.5.1)

3. अध्याय - 3

राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने एक से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी 119 चूककर्ता लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस वसूल करने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.1.1)

अनुबंध शर्तों की जोखिम एवं लागत धारा पर बिक्रियों की पुनः नीलामी के पश्चात् सरकार को ₹ 1.45 करोड़ के राजस्व से वंचित रखते हुए विभाग ने, रिटेल लिकर आऊटलैट्स के 11 चूककर्ता आबंटियों से लाइसेंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

{(अनुच्छेद 3.2.3 (ख))}

2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों हेतु 130 लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹ 96.89 लाख की कम वसूली हुई।

{(अनुच्छेद 3.2.3 (ग))}

4. अध्याय - 4

स्टाम्प शुल्क

पंजीकरण प्राधिकारियों ने 228 अनुबंधों में बिक्री को अनुबंध की बजाय संयुक्त अनुबंधों के रूप में वर्गीकृत किया परिणामस्वरूप ₹ 60.39 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.2)

आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लोटों के 134 बिक्री विलेखों पर ₹ 1.95 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

47 मामलों में हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4.1)

5. अध्याय - 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

“मोटर वाहनों पर करो से प्राप्तियों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

569 वाहनों के संबंध में निजी/माल वाहनों से ₹ 35.24 लाख की राशि का टोकन टैक्स वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.11.1 तथा 5.2.11.2)

कैशबुक के अनुचित रख-रखाव तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण ₹ 5.32 लाख का गबन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

242 मामलों में आउटआफ टर्न पंजीकरण नंबरों के आबंटन के संबंध में ₹ 24.20 लाख की अतिरिक्त फीस वसूल करने में विभाग विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.2.16)

परिवहन वाहनों के रूप में छः व्यक्तियों से अधिक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए वाहनों का पंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप 35 मामलों में परमिट फीस के अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख के टोकन कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.2.18)

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

विभाग द्वारा 144 सहकारी परिवहन समितियों की बसों के संबंध में ₹ 2.02 करोड़ की राशि के यात्री कर की मांग नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 5.3.1)

6. अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

384 मामलों के राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों का परिगणन न करने से ₹ 90.11 करोड़ की राशि की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.2.3)

पी.एल.आर. अधिनियम की धारा 67 के अनुसार विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप 173 मामलों में ₹ 11.86 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.2.4)

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

69 ईट भट्ठा मालिकों के संबंध में ₹ 14.88 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 6.3)

अध्याय – 1

सामान्य

1-10312

1915

अध्याय 1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तालिका 1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	11,655.28	13,219.50	16,790.37	20,399.46	23,559.00
	• कर-भिन्न राजस्व	3,238.45	2,741.40	3,420.94	4,721.65	4,673.15
	योग	14,893.73	15,960.90	20,211.31	25,121.11	28,232.15
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा ¹	1,724.62	1,774.47	2,301.75	2,681.55	3,062.13
	• सहायता अनुदान	1,833.96	3,257.29	3,050.62	2,754.93	2,339.25
	योग	3,558.58	5,031.76	5,352.37	5,436.48	5,401.38
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	18,452.31	20,992.66	25,563.68	30,557.59	33,633.53
4	1 की 3 से प्रतिशतता	81	76	79	82	84

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 28,232.15 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 84 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 16 प्रतिशत भारत सरकार से था।

1 विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 11 देखें-वर्ष 2012-13 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं।

तालिका 1.2
एकत्रित कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 से 2012-13 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	8,154.73	9,032.37	11,082.01	13,383.69	15,376.58	(+) 14.89
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,418.53	2,059.02	2,365.81	2,831.89	3,236.48	(+) 14.29
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस						
	स्टाम्पस - न्यायिक	1,030.90	945.91	848.09	99.76	169.19	(+) 69.60
	स्टाम्पस - गैर - न्यायिक	267.27	341.86	1,450.33	2,646.35	3,043.15	(+) 14.99
	पंजीकरण फीस	28.22	5.79	20.86	46.89	113.91	(+) 142.93
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	370.29	391.45	387.14	429.32	470.76	(+) 9.65
5.	वाहनों पर कर	239.30	277.07	457.36	740.15	887.29	(+) 19.88
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	106.31	119.58	130.27	166.43	191.96	(+) 15.34
7.	भू-राजस्व	8.58	9.43	10.02	10.95	12.98	(+) 18.54
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	31.15	37.02	38.48	44.03	56.70	(+) 28.78
	योग	11,655.28	13,219.50	16,790.37	20,399.46	23,559.00	(+) 15.49

संबंधित विभागों द्वारा वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गये थे:

- बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट): राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (15 प्रतिशत) मुख्यतः सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण थी। तथापि, बृहद् भिन्नताएं अर्थव्यवस्था में उत्पलावकता के कारण थी।
- राज्य उत्पाद शुल्क: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (14 प्रतिशत) मुख्यतः देशी शराब (देश.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (भानि.वि.श.) के कोटे में वृद्धि तथा इसके साथ-साथ देश. तथा भानि.वि.श. की लाईसेंस फीस में वृद्धि के कारण थी।
- स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः अचल/चल सम्पत्ति के अधिक दस्तावेजों के पंजीकरण के कारण थी।

- वाहनों पर कर: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (20 प्रतिशत) मुख्यतः इनफोर्समेंट स्टॉफ द्वारा बेहतर चैकिंग तथा कर वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करने के कारण थी।
- बिजली पर कर एवं शुल्क: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (15 प्रतिशत) मुख्यतः विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक बिजली शुल्क की वसूली के कारण थी।

1.1.3 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 1.3 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.3

एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 से 2012-13 में वृद्धि (+) / कमी (-) की प्रतिशतता
1.	शहरी विकास	884.50	133.70	974.54	1,039.35	990.70	(-) 4.68
2.	ब्याज प्राप्तियां	776.28	667.88	689.34	864.96	1,058.21 ²	(+) 22.34
3.	सड़क परिवहन	645.04	699.57	761.72	852.96	999.87	(+) 17.22
4.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	195.97	247.49	82.59	75.53	75.49	(-) 0.05
5.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	120.95	96.81	115.63	99.95	125.86	(+) 25.92
6.	विविध सामान्य सेवाएं	89.39	95.93	(-) 9.75 ³	128.49	312.30	(+) 143.05
7.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	74.01	218.56	202.26	583.16	139.12	(-) 76.14
8.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	156.10	285.10	270.37	295.72	385.43	(+) 30.34
9.	पुलिस	55.22	35.11	61.53	62.64	63.73	(+) 1.74
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	40.74	56.13	44.32	39.12	41.36	(+) 5.73
11.	चिकित्सा एवं जन - स्वास्थ्य	30.94	30.23	47.06	54.79	78.01	(+) 42.38
12.	अन्य कर - भिन्न प्राप्तियां	169.31	174.89	181.33	624.98	403.07	(-) 35.51
योग		3,238.45	2,741.40	3,420.94	4,721.65	4,673.15	(-) 1.03

2 सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के दर्ज समायोजन के रूप में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

3 प्राप्तियों से अधिक रिफंड के कारण।

संबंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गए थे:

- ब्याज प्राप्तियां: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (22 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अधिकतम प्राप्तियों के कारण थी।
- विविध सामान्य सेवाएं: राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (143 प्रतिशत) गारंटी फीस से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बावजूद पिछले वर्ष पर भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं

कर एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 हेतु बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नता तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4
बजट अनुमानों तथा वास्तविकों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नता वृद्धि(+)/कमी (-)	प्रतिशतता
● कर राजस्व					
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	16,450.00	15,376.58	(-) 1,073.42	(-) 7
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	3,236.48	(+) 236.48	(+) 8
3.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,000.00	3,326.25	(+) 326.25	(+) 11
4.	वाहनों पर कर	750.00	887.29	(+) 137.29	(+) 18
5.	बिजली पर कर एवं शुल्क	160.00	191.96	(+) 31.96	(+) 20
6.	भू-राजस्व	15.28	12.98	(-) 2.30	(-) 15
7.	उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क	48.00	56.70	(+) 8.70	18
8.	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर	450.00	470.76	(+) 20.76	(+) 5
● कर-भिन्न राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	225.00	75.49	(-) 149.51	(-) 66
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	45.00	41.36	(-) 3.64	(-) 8
3.	पानी की दरें (मध्यम सिंचाई)	6.76	8.20	(+) 1.44	(+) 21
4.	ब्याज प्राप्तियां	1,080.04	1,058.21	(-) 21.83	(-) 2
5.	शहरी विकास	1,150.00	990.70	(-) 159.30	(-) 14
6.	पुलिस	83.22	63.73	(-) 19.49	(-) 23
7.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	109.63	78.01	(-) 31.62	(-) 29
8.	लोक निर्माण	15.40	10.22	(-) 5.18	(-) 34

विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताओं के कारण नीचे उल्लिखित हैं:

- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (11 प्रतिशत) अचल सम्पत्ति के अधिक लेन-देनों के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (18 प्रतिशत) इनफोर्समेंट स्टाफ द्वारा बेहतर चैकिंग तथा कर वसूलने के प्रयास करने के कारण थी।
- **भू-राजस्व:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (15 प्रतिशत) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना⁴ की कम वसूली के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (8 प्रतिशत) सड़कों को चौड़ा करने हेतु पेड़ों की कम कटाई पेड़ों के क्षेत्र कम होने के कारण थी।
- **शहरी विकास:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (14 प्रतिशत) 2012-13 के दौरान लाईसेंस फीस के अधिक रिफंड के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2013)।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

2010-11 से 2012-13 तक के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 हेतु सकल संग्रहण हेतु संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता तालिका 1.5 में उल्लिखित है।

तालिका 1.5
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2011-12 हेतु अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2010-11	11,082.01	87.82	0.79	0.83
		2011-12	13,383.69	87.65	0.65	
		2012-13	15,376.58	95.85	0.62	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2,365.81	21.57	0.91	2.98
		2011-12	2,831.89	22.39	0.79	
		2012-13	3,236.48	23.87	0.74	
3.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	2010-11	2,319.28	11.39	0.49	1.89
		2011-12	2,793.00	11.57	0.41	
		2012-13	3,326.25	11.70	0.35	
4.	वाहनों पर कर	2010-11	457.36	13.38	2.93	2.96
		2011-12	740.15	13.07	1.77	
		2012-13	887.29	14.39	1.62	

स्रोत: वित्त लेखे।

4 सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी करों के संबंध में संग्रहण की लागत उनमें से प्रत्येक में अखिल भारतीय औसत से कम थी।

1.4 कुल बकायों तथा पांच वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया, जैसा विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया, ₹ 4,486.51 करोड़ के थे, जिनमें से ₹ 3,166.09 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि तालिका 1.6 में उल्लिखित है।

तालिका 1.6
पांच वर्षों से अधिक के राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	3,899.19	2,895.03	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 597.28 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 9.87 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण स्थागित किए गए थे। ₹ 19.28 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 43.71 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 139.33 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः कल्पन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 170.47 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 2.71 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 2,916.54 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	132.85	85.05	₹ 13.38 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी। ₹ 42.90 लाख बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों के कारण ₹ 4.97 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 1.43 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 15.17 करोड़ तथा ₹ 9.65 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के कारण थे। ₹ 1.81 लाख रिव्यू/रैक्टीफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए रोके गए थे। ₹ 87.80 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	140.67	85.07	₹ 1 करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंट्स चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटेंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 138.83 करोड़ की बकाया राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थी।
4.	यात्री एवं माल पर कर	51.32	18.03	₹ 8.05 लाख की राशि उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 27,000 की राशि बट्टे खाते डाली गई थी तथा ₹ 51.24 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	209.95	47.40	₹ 163.15 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 35.25 लाख की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 46.45 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
5.	पुलिस	12.91	8.11	₹ 7.38 करोड़ की वसूली भारतीय तेल निगम से बकाया थी तथा ₹ 29 लाख की वसूली भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.) से बकाया थी, ₹ 44.68 लाख चार राज्यों से बकाया थे तथा शेष ₹ 4.79 करोड़ चुनाव ड्यूटी के डिप्लायमेंट चार्जिज के संबंध में तीन अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क • मनोरंजन शुल्क तथा प्रदर्शन कर के अन्तर्गत प्राप्तियां	14.12	13.56	₹ 13.78 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.26 लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 32.59 लाख की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।

5 गुजरात: ₹ 1.24 लाख, पंजाब: ₹ 2.33 लाख, उत्तर प्रदेश: ₹ 39.55 लाख तथा पश्चिम बंगाल: ₹ 1.56 लाख।

6 आंध्र प्रदेश: ₹ 42.28 लाख, केरल: ₹ 1.89 लाख तथा उत्तर प्रदेश: ₹ 4.35 करोड़।

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	25.50	13.84	₹ 16.51 करोड़ की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत थीं। ₹ 58.04 लाख की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.31 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने सम्भावित थे। ₹ 4.98 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर जिला बकायों के रूप में देय थे। ₹ 2.12 करोड़ किस्तों में वसूल किए जाने थे।
	योग	4,486.51	3,166.09	

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 3,166.09 करोड़ की वसूली पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया है तथा उसे वसूल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। अन्य विभागों के संबंध में 2012-13 के अन्त तक राजस्व के बकायों की स्थिति आग्रह किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई थी (नवंबर 2013)।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/वैट प्रकरणों के पूर्व-निर्धारण चरण पर कुल संग्रहण तथा नियमित निर्धारणों के पश्चात् का विघटन तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े तालिका 1.7 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.7
संग्रहण का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	पूर्व-निर्धारण चरण पर संगृहीत राशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संगृहीत राशि	करों एवं शुल्कों के भुगतान में विलंब हेतु जुर्माना	प्रत्यर्पित राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण (3+4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2008-09	8,132.08	470.14	58.28	101.34	8,559.16
	2009-10	9,973.05	393.21	1.24	133.09	10,234.41
	2010-11	11,224.83	2,022.92	1.17	623.04	12,625.88
	2011-12	14,286.78	417.66	7.48	603.72	14,108.20
	2012-13	15,556.42	419.44	8.69	654.87	15,329.68

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पूर्व-निर्धारण चरण पर संगृहीत राजस्व कुल राजस्व संग्रहण के 90 प्रतिशत से अधिक था।

1.6 कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, तालिका 1.8 में दिए गए हैं।

तालिका 1.8

विभाग के प्रमुख	31 मार्च 2012 को लम्बित मामले	वर्ष 2012-13 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल (2+3)	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा वर्ष 2012-13 के दौरान पैनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2013 को लम्बित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	55	1,955	2,010	1,936	8.48	74
राज्य उत्पाद शुल्क	821	2,094	2,915	2,251	1.51	664
यात्री एवं माल पर कर	1,153	9,189	10,342	9,034	8.70	1,308
कुल	2,029	13,238	15,267	13,221	18.69	2,046

उपयुक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या से थोड़ी सी बढ़ गई है।

1.7 रिफंड मामलों की लंबनता

वर्ष 2012-13 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित की गई, तालिका 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.9

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दावों के विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	384	107.24	12	0.15
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2,932	653.33	1,214	16.09
3.	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	2,942	665.30	1,203	15.90
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	374	95.27	23	0.34

हरियाणा बिक्री कर तथा हरियाणा वैट अधिनियम के अंतर्गत यदि अतिरिक्त राशि आदेश के 90 दिनों के भीतर डीलर को रिफंड नहीं की जाती है तो प्रति माह एक प्रतिशत की दर पर ब्याज तथा उसके बाद जब तक रिफंड नहीं किया जाता तब तक दो प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। विभाग ब्याज देयता से बचने के लिए रिफंड मामलों का भुगतान तुरंत कर सकता है।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर

1.8.1 उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा (प्र.म.ले.) नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, नि.प्र. में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी तथा त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा नि.प्र. जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर प्र.म.ले. को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रत्येक वर्ष विधान सभा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के माध्यम से सूचित की जाती हैं। विभागों को, उनके उत्तर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है जो अपनी बैठकों में उनकी जांच करती है तथा अपनी रिपोर्टें राज्य विधान सभा को देती है।

दिसम्बर 2012 तक जारी नि.प्र. ने प्रकट किया कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ नीचे तालिका 1.10 में उल्लिखितानुसार जून 2013 के अन्त में 1,890 नि.प्र. से संबंधित ₹ 1,871.65 करोड़ से आवेष्टित 4,464 अनुच्छेद बकाया रहे।

तालिका 1.10

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
दावों के लिए बकाया नि.प्र. की संख्या	2,313	2,268	1,890
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,734	4,507	4,464
आवेष्टित राशि (₹ करोड़ में)	1,484.56	1,023.95	1,871.65

30 जून 2013 को बकाया नि.प्र. तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	307	1,672	1,691.98
		राज्य उत्पाद शुल्क	102	183	67.79
		माल एवं यात्रियों पर कर	149	277	18.81
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	18	20	10.95
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	771	1,567	55.52
		भू-राजस्व	127	186	0.50
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	301	413	9.49
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	8	8	0.46
5.	स्वदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	107	138	16.15
योग			1,890	4,464	1,871.65

नि.प्र. के निर्गम की तारीख से चार सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्राप्त किए जाने अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2012 तक जारी 112 नि.प्र. के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण नि.प्र. की यह लम्बनता इस तथ्य का सूचक है कि कार्यालयों के अध्यक्ष तथा विभागों के अध्यक्ष नि.प्र. में प्र.म.ले. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहे।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है। सरकार, उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जो निर्धारित समय सूचियों के अनुसार नि.प्र./अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहते हैं तथा उनके भी, जो समयबद्ध ढंग से हानि/बकाया मांग वसूल करने की कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने अनुच्छेदों सहित नि.प्र. में अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए सितम्बर 1985 में लेखापरीक्षा समितियां गठित की। लेखापरीक्षा समितियां प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रशासनिक सचिव (चेयरमैन), उप-महालेखाकार (संयोजक) तथा विभाग के अध्यक्ष (सदस्य) शामिल किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति की समीक्षा करने तथा इस बारे में कार्य की गति को मानीटर करने के लिए इन समितियों की बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने भी तिमाही आधार पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

आयोजन सुनिश्चित करने तथा ऐसी बैठकों के परिणाम वित्त विभाग को सूचित करने के लिए प्रशासनिक सचिवों पर दबाव डाला है (अगस्त 1998)।

हमने देखा कि प्रशासनिक सचिव ने वर्ष 2012-13 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन सुनिश्चित नहीं किया।

वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए अनुच्छेदों के विवरण तालिका 1.12 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.12

राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
स्टाम्प शुल्क	1	31	2.21
बिक्रियों व्यापार आदि पर कर/वैट	2	36	2.15
राज्य आबकारी	2	15	1.54
योग	5	82	5.90

2012-13 के दौरान, कर तथा कर-भिन्न राजस्व के नौ मुख्य शीर्षों से संव्यवहार करने वाले नौ विभागों में से, मात्र तीन ने लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की थी। इस प्रकार, ये विभागीय लेखापरीक्षा समितियां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं क्योंकि अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा इन बैठकों के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/आपत्तियों का समापन/निपटान आरम्भ नहीं किया गया था।

सरकार को, प्रभावी प्रगति के लिए समितियों की आवधिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

1.8.3 अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) के कार्यालयों में वैट प्राप्तियों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार कर लिया जाता है तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से सामान्यतः एक माह पहले विभाग को लेखापरीक्षा जांच हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सूचनाएं जारी की जाती हैं।

2012-13 के दौरान, दो डी.ई.टी.सी.ज से संबंधित 4,698 वैट निर्धारण मामलों में से 83 मामले लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार, ₹ 8.75 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित वैट निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। इन मामलों का ब्रेकअप तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13

डी.ई.टी.सी. का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षा न किए गए निर्धारण मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें आवेष्टित राजस्व का पता लगाया जा सका	आवेष्टित राजस्व (₹ करोड़ में)
पानीपत	2012-13	68	68	8.12
जगाधरी	2012-13	15	15	0.63
	योग	83	83	8.75

1.8.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने 5 जनवरी 1982 को सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजने हेतु निर्देश जारी किए थे। प्र.म.ले. द्वारा प्रारूप अनुच्छेदों को, अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने हेतु उनको अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर) में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 25 प्रारूप अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं, संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल से सितंबर 2013 के दौरान अर्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गए थे। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था तथापि, 23 अनुच्छेदों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा पर एग्जिट काफ्रेंस में चर्चा की गई थी तथा उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.8.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि लो.ले.स. द्वारा जांच हेतु मामले उठाए गए थे अथवा नहीं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर) में प्रस्तुत सभी अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक तथा ठोस कार्रवाई आरम्भ करनी अपेक्षित थी। उन्हें, विधानसभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित अथवा की गई उपचारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

अनुच्छेदों, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट किए गए हैं तथा जिन पर 30 सितंबर 2013 को चर्चा लम्बित थी, की स्थिति अनुलग्नक I में उल्लिखित है। 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि से संबंधित बयासी (82) अनुच्छेद लो.ले.स. द्वारा चर्चा हेतु लम्बित थे। प्रशासनिक विभाग, विधान सभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण⁷ की तारीख से तीन

7 2008-09: मार्च 2010, 2009-10: मार्च 2011, 2010-11: मार्च 2012 तथा 2011-12: 11 मार्च 2013.

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

माह के भीतर 82 अनुच्छेदों में से 30 के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करने में विफल रहे।

आगे, लो.ले.स. की अनुशंसाओं के प्रति प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1979-80 से 2007-08 तक की अवधि से संबंधित 740 अनुशंसाएं संबंधित विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई न किए जाने के कारण अब तक लम्बित थीं (अनुलग्नक II)।

1.8.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2007-08 से 2011-12 के बीच के वर्षों के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 2,107.11 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 10.72 करोड़ की राशि 31 मार्च 2013 तक वसूल की गई थी जैसा कि तालिका 1.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.14

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धन मूल्य	स्वीकृत धन मूल्य	की गई वसूली
2007-08	122.75	29.65	1.93
2008-09	82.74	75.64	0.70
2009-10	346.97	72.76	3.42
2010-11	324.73	183.13	4.05
2011-12	1,746.01	1,745.93	0.62
योग	2,623.20	2,107.11	10.72

स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली मात्र 0.51 प्रतिशत थी, जिसने वसूलियां करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की कमी इंगित की।

सरकार, संबंधित विभागों को तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परामर्श दे सकती है।

1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा नि.प्र./लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेद 1.9.1 से 1.9.2.2 में गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों के साथ निपटने में आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के निष्पादन पर तथा 2003-04 से 2011-12 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गई है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं को सम्मिलित करके नि.प्र. तत्पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों/अगले उच्चतर प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं। कार्यालयों के अध्यक्षों/विभाग/सरकार से नि.प्र. में समाविष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालना तथा त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से सुधारने की अपेक्षा की जाती है। उनके द्वारा नि.प्र. के निर्गम की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्र.म.ले. को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी भी अपेक्षित थी। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं भी, जांच एवं तत्पर कार्रवाई करने और उन पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, अग्रिम पैरा के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के भीतर देने हेतु अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष (आबकारी एवं कराधान आयुक्त) तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं। छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्राप्त न होने के मामले में नि.प्र. की निर्गम की तारीख से 50 दिनों के पश्चात् तथा उसके बाद प्रत्येक माह अनुस्मारक जारी किए जाते हैं। प्रशासनिक विभाग तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अर्ध-वार्षिक स्थिति भी अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से जारी की जाती है।

गत 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र., इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा मार्च 2013 को उनकी स्थिति तालिका 1.15 में दी गई है।

तालिका 1.15

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य
2003-04	115	196	135.86	15	27	20.16	13	20	19.02	117	203	137.00
2004-05	117	203	137.00	17	33	23.79	20	30	23.11	114	206	137.68
2005-06	114	206	137.68	13	22	10.73	11	28	13.04	116	200	135.37
2006-07	116	200	135.37	09	11	5.27	19	34	12.58	106	177	128.06
2007-08	106	177	128.06	21	39	15.33	16	28	18.23	111	188	125.16
2008-09	111	188	125.16	34	65	20.92	25	45	74.50	120	208	71.58
2009-10	120	208	71.58	36	55	11.04	40	92	23.70	116	171	58.92
2010-11	116	171	58.92	19	60	29.07	30	53	17.48	105	178	70.51
2011-12	105	178	70.51	14	33	4.89	13	33	20.30	106	178	55.10
2012-13	106	178	55.10	27	80	20.87	34	87	13.28	99	171	62.69

नि.प्र., अनुच्छेदों तथा आवेष्टित राशि के अंत शेष के वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक - III में दिए गए हैं। 99 नि.प्र. में ₹ 62.69 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित 171 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 27 नि.प्र. में ₹ 32.46 करोड़ (52 प्रतिशत) के राजस्व से आवेष्टित 35 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी।

हमने देखा कि आवधिक अनुस्मारक जारी करने तथा लेखापरीक्षा समिति की आवधिक बैठकों के आयोजन के बावजूद नि.प्र./लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की भारी लम्बनता थी जो नि.प्र. में प्र.म.ले. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयाध्यक्षों/आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा प्रशासनिक विभाग की ओर से विफलता की सूचक है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि देय राजस्व वसूल करने हेतु कार्रवाई कालबाधित न हो, सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए कि:

- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु प्रभावी प्रक्रिया विद्यमान है;
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करने के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्रतिशीघ्र निपटान करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है; तथा
- हानि/बकाया मांगों को वसूल करने हेतु समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाती है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

1.9.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति तालिका 1.16 में दी गई है:

तालिका 1.16

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2002-03	2	1.45	2	1.45	1	0.21
2003-04	1	11.36	1	11.36	-	-
2004-05	4	2.90	4	2.90	2	0.08
2005-06	-	-	-	-	-	-
2006-07	2	0.48	2	0.48	1	0.01
2007-08	2	1.23	2	1.23	1	0.03
2008-09	4	2.35	4	2.35	3	0.09
2009-10	2	5.65	2	5.65	2	0.10
2010-11	-	-	-	-	-	-
2011-12	3	4.75	3	4.75	1	0.05
योग	20	30.17	20	30.17	11	0.57

गत दस वर्षों के स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली केवल दो प्रतिशत थी।

सरकार तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को परामर्श दे सकती है।

1.9.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्र.स.ते. द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाएं संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ अग्रोषित की जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एगिजट कांफ्रेंस में भी चर्चा की जाती है तथा विभाग/सरकार के विचार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए जाते हैं।

राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग पर सिफारिशों सहित निष्पादन लेखापरीक्षाओं में बताए गए मुद्दे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए। विभागाध्यक्ष/सरकार ने राज्य उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु 2003-04 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दो प्रतिवेदनों में शामिल नौ सिफारिशों (अनुलग्नक - IV) पर अपनी स्वीकृति अथवा की गई कोई कार्रवाई सूचित नहीं की थी।

हमने देखा कि आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी)/सरकार ने 2003-04 से 2007-08 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं से संबंधित अपने उत्तर लो.ले.स. को भेजे थे। किन्तु उन्होंने वर्ष 2005-06 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के स्वीकरण पर अथवा अन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने 2009-10 से 2011-12 तक के वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए लो.ले.स. को उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे।

सरकार, सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने अथवा उनकी टिप्पणियां, यदि कोई हो, देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) को परामर्श दे सकती है।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनके राजस्व अर्जन, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विगत प्रवृत्तियों इत्यादि के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर प्रशासन अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएं, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि, में आलोचनात्मक मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 497 लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों में से कुल यूनिटों के 53 प्रतिशत की लेखापरीक्षा संघटित करते हुए 265 यूनिटों की योजना बनाई गई तथा लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों तथा चयनित यूनिटों के विवरण अनुलग्नक - V में दर्शाए गए हैं।

ऊपर उल्लिखितानुसार पूर्ण की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं नामतः 'रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब' तथा 'मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां' भी इन प्राप्तियों के कर प्रबंधन की क्षमता की जांच करने के लिए ली गई थी।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.11.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/वैट, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद-शुल्क, मोटर वाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 265 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 7,508 मामलों में ₹ 1,735.68 करोड़ के राजस्व के अविनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 2,285 मामलों में आवेष्टित ₹ 19.19 करोड़ के अविनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 2,147 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.86 करोड़ 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने पूर्ववर्ती वर्ष के मामलों के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान 207 मामलों में ₹ 1.36 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.11.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में ₹ 636.10 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति इत्यादि के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण से संबंधित 'रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब' तथा 'मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 16 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 629.33 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 1.75 करोड़ वसूल किए गए हैं। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवंबर 2013)। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबंध

हरियाणा में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) हरियाणा में एच.वी.ए.टी. अधिनियम तथा नियमों के संचालन के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का मुखिया है। आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) डीलरों के पंजीकरण, वैट के निर्धारणों, उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक डीलर, जिसका सकल आवर्त (जी.टी.ओ.) ₹ पांच लाख से अधिक बढ़ गया है, उसका जी.टी.ओ., करयोग्य प्रमात्रा के बढ़ने के दिन के अनुवर्ती दिन से एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाने हेतु उत्तरदायी थे। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी डीलरों को करदाता पहचान संख्या (टिन) प्रदान की गई थी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पिछले बिंदु {इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)} पर प्रदत्त कर के प्रति छूट अनुमत करने के पश्चात् बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर निर्धारित दरों पर कर उद्ग्रहीत किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत चयनित मामलों में लेखा-बहियों की जांच के बाद कर-निर्धारण किए गए थे।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग में बिक्री कर/वैट के निर्धारणों एवं रिफंडों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2012-13 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 1,197 मामलों में ₹ 1,640.32 करोड़ से आवेष्टित कर के निर्धारणों, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं प्रकट की जो मोटे तौर पर तालिका 2.1 की श्रेणियों में वर्णित किए गए हैं।

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	“रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	0.45
2.	कर की गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण	01	91.81
3.	बिक्रियों/क्रयों को छिपाने के कारण कर का अपवचन	01	456.53
4.	जुर्माने का अनुद्ग्रहण	102	486.83
5.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत टर्नओवर का अवनिर्धारण	91	256.75
6.	कर की गलत दरों का प्रयोग	197	68.60
7.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	55	12.58
8.	वैट के अंतर्गत टर्नओवर का गलत परिकलन	55	12.10
9.	अन्य अनियमितताएं	694	254.67
	कुल	1,197	1,640.32

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 105 मामलों में ₹ 8.82 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें से तीन मामलों में आवेष्टित ₹ 1.23 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 46 मामलों में ₹ 67.43 लाख वसूल किए जिनमें से दो मामलों में आवेष्टित ₹ 53,324 वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 45.26 लाख के कर प्रभाव से आवेष्टित “रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 554.19 करोड़ से आवेष्टित व्याख्यात्मक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

2.2 रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब

2.2.1 विशिष्टताएं

- अपील मामलों की संख्या 2,993 से 3,399 तक बढ़ गई जबकि रिमांड मामले 717 से 1,507 तक बढ़ गए।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.8.3)

- रिमांड मामलों को फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 33 मामलों में ₹ 3.20 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ और एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत ₹ 3.91 करोड़ के 34 मामलों के फाइनल करने में 20 से 42 माह तक विलंब था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4 तथा 2.2.8.5)

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों को समय के अंदर, फाइनल न करने के परिणामस्वरूप 198 मामलों में ₹ 20.10 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 6.33 करोड़ की राशि के समय बाधित 83 मामले विलंब से फाइनल हुए।

{(अनुच्छेद 2.2.8.6 (i) तथा (ii))}

- छियत्तर रिमांड मामले अब भी लंबित पड़े थे परिणामस्वरूप ₹ 19.86 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा ₹ 3.54 करोड़ के कर वाले 78 रिमांड मामले एक से 53 माहों के बीच विलंब के बाद फाइनल किए गए थे।

{(अनुच्छेद 2.2.8.7 (i) तथा (ii))}

2.2.2 प्रस्तावना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम तथा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) उसके अधीन निर्मित नियम, वैट के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण को शासित करते हैं। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 33 के अंतर्गत अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत पारित मूल आदेश द्वारा स्वयं को एग्रीवड मानने वाला असेसी, कर निर्धारण आदेश की प्रति प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर विभागीय अपील प्राधिकारियों को अपील फाइल कर सकता है। अधिनियम में प्रावधान है कि जब तक अपील प्राधिकारी संतुष्ट नहीं होता कि निर्धारित कर की राशि तथा पेनल्टी और ब्याज यदि कोई वसूलनीय है, का भुगतान किया जा चुका है, किसी अपील की सुनवाई नहीं होगी। यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट होता है, कि यदि एसेसी, निर्धारित कर अर्थात् लगाई गई पेनल्टी अथवा देय ब्याज की समग्र राशि का लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए भुगतान करने में असमर्थ है, अपील की सुनवाई कर सकता है तथा उसकी संतुष्टि के लिए बैंक गारंटी अथवा पर्याप्त प्रतिभूति के प्रस्तुतिकरण के अध्यक्षीन शेष राशि की वसूली स्थगित कर सकता है। अपील प्राधिकारी अपील को रद्द अथवा स्वीकृत कर सकता है तथा मांगी गई राहत अनुमत कर सकता है अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए मामला वापस कर निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) को भेज सकता है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 18(1) में, रिमांड मामलों के निपटान के लिए दो वर्षों की लिमिटेशन अवधि का प्रावधान है।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 34 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों में प्रावधान है कि कमिश्नर, अपनी स्वयं की इच्छा से, अधिनियम के अंतर्गत उसकी अथवा किसी ए.ए. की सहायता के लिए नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष लंबित अथवा द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख, जैसे किसी प्रोसीडिंग्स अथवा उसमें किए गए किसी आदेश की लीगेलिटी अथवा औचित्य की अपनी संतुष्टि के लिए मांग सकता है तथा उस संबंध में जैसा वह ठीक समझे ऐसा आदेश पास कर सकता बशर्ते कि आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश इस प्रकार संशोधित नहीं किया जाएगा।

हरियाणा सामान्य बिक्री अधिनियम 1973 (ह.सा.बि.अ.) के अंतर्गत रीअसैसमेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, ई.टी.सी. ने, जुलाई 1997 के अपने निर्देश में तथा बाद में जुलाई 2005 में सभी ए.ए.ज को, रिमांड आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः माह के अंदर रिमांड मामलों का निर्णय करने के लिए निदेश दिए।

2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर मानीटरिंग तथा नियंत्रण प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किया जाता है। वेट का समस्त नियंत्रण ई.टी.सी. के पास है, अधिनियम के कार्यान्वयन तथा प्रशासन में जिसकी सहायता नौ अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (अ.आ.क.आ.), 10 संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (स.आ.क.अ.), 23 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त {{उ.आ.क.आ.(बि.क.)}} तथा ई.टी.ओज एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है।

अंबाला, रोहतक तथा फरीदाबाद में तीन जे.ई.टी.सीज (अपीलज) थे जो अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंबाला, हिसार, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में चार जे.ई.टी.सीज (रेंज) तथा {डी.ई.टी.सी (बि.क.) इंस्पेक्शन} रिविजनल प्राधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, ई.टी.सी., रिविजनल प्राधिकारी के रूप में, मामले ए.ए.ज को रीअसैसमेंट के लिए वापस भी भेज सकता है।

2.2.4 आडिट आबजेक्टिवज

परफार्मेंस आडिट के आबजेक्टिवज यह सुनिश्चित करना है कि:

- रिमांड/रीअसैसमेंट मामलों के निपटान के संबंध में प्रचलित सिस्टम की क्षमता संतोषजनक है;
- रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान से संबंधित प्रक्रियाओं/सांविधिक प्रावधानों तथा कार्यकारी निर्देशों का अनुपालन, रिमांड मामलों के समयपूर्व निपटान सुनिश्चित करने के लिए किया गया था; तथा
- रिमांड मामलों का समयपूर्व निपटान सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली मौजूद थी।

2.2.5 आडिट क्राइटेरिया

आडिट क्राइटेरिया निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया था:

- एच.जी.एस.टी. अधिनियम 1973, एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003, सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन निर्मित नियम/अपील मामले फाइनल करने के लिए हरियाणा सरकार की अधिसूचनाएं।
- रिमांड मामलों के असेसमेंट/रीअसैसमेंट से संबंधित हरियाणा सरकार की दिशानिर्देशों तथा अधिसूचना।
- रिविजनल प्राधिकारियों द्वारा मामलों के फाइनलाइजेशन से संबंधित हरियाणा सरकार के दिशानिर्देश तथा अधिसूचनाएं।
- विभाग की एक्टिविटी/अप्रेजल रिपोर्ट्स में विषय का कोई उल्लेख।

2.2.6 आडिट का स्कोप तथा मेथडालाजी

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए तीन अपील प्राधिकारियों में से दो¹, 23 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) में से दस² डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) के रिमांड और रिविजन मामलों से संबंधित अभिलेखों की दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के मध्य नमूना जांच की गई। हमने, साइज मेथड (रिप्लेसमेंट बिना) से आनुपातिक संभाव्यता लागू कर रैंडम सैंपल सलेक्शन आधार पर दस डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) सलेक्ट किए।

2.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेख प्रदान करने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एक एंटी काफ्रेंस आयोजित की गई थी (फरवरी 2013) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मेथडालाजी तथा जिलों के चयन के लिए अपनाए गए क्राइटेरिया स्पष्ट किए गए थे। ड्राफ्ट परफार्मेंस आडिट रिपोर्ट, सितंबर 2013 में विभाग तथा सरकार को कमेंट्स के लिए भेजी गई थी। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) ई.टी.सी., ए.ई.टी.सीज तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक एग्जिट काफ्रेंस 17 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी।

विभाग/सरकार के साथ दोबारा एग्जिट काफ्रेंस आयोजित (जनवरी 2014) की गई थी। विभाग/सरकार के दृष्टिकोण निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1 फरीदाबाद और रोहतक।

2 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, तथा सिरसा।

2.2.8 फाइल की गई अपीलज तथा उनके निपटान का ट्रेंड

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए अपील मामलों की स्थिति, जैसा कि जे.ई.टी.सी. (अपील) अंबाला, फरीदाबाद तथा रोहतक द्वारा प्रस्तुत की गई, तालिका 2.2 में दी गई हैं।

तालिका 2.2

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
1	आगे लाए गए अपील मामलों की संख्या	2,993	3,218	3,507
2	वर्ष के दौरान उठने वाले अपील मामलों की संख्या	2,856	2,599	2,253
	योग	5,849	5,817	5,760
3	(i) वर्ष के दौरान फाइनल किए गए/ट्रांसफर किए गए अथवा ए.ए. को वापस भेजे गए अपील मामलों की संख्या	1,392	1,328	2,107
	(ii) रिजेक्ट की गई अपीलों की संख्या	1,239	982	254
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित अपील मामलों की संख्या	3,218	3,507	3,399

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि अपील मामलों की संख्या 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान 2,993 से 3,399 तक बढ़ गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि अपील मामलों पर राज्य नीति जल्द ही तैयार की जाएगी।

2.2.8.1 ई.टी.सी. के निदेशों का पालन न करना

रिमांड मामलों में देरी से बचने के लिए, ई.टी.सी. हरियाणा ने जुलाई 2005 में सभी जे.ई.टी.सी. (अपील) को निर्देश जारी किए थे कि सभी रिमांड मामले, संबंधित ए.ए. को आदेश/निर्णय जारी होने के पश्चात् दो माह के अंदर, डीलर को दिए जाने चाहिए।

जे.ई.टी.सी. (अपील) के अभिलेखों की मार्च 2013 में नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान सात से 183 दिनों (आरंभिक दो माह छोड़कर) के मध्य विलंब के पश्चात् डीलरों/ए.ए. को 56 रिमांड मामलों के आदेश दिए गए थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) सभी डी.ई.टी.सी. ने आश्वासन दिया कि अनुदेशों का भविष्य में अनुसरण किया जाएगा।

2.2.8.2 अभिलेखों का न रखना

रिमांड मामले मानीटर करने के लिए, ई.टी.सी. ने जुलाई 1997 के अपने निर्देशों में, प्रत्येक डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालय में अपील रजिस्टर मेनटेन किया जाना निर्धारित किया। रिमांड मामलों की प्राप्ति एवं निपटान की निगरानी के लिए रजिस्टर, मानीटरिंग टूल के रूप में कार्य करता है।

दिसंबर 2012 और जुलाई 2013 के मध्य रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि आठ डी.ई.टी.सी.³ (एस.टी.) कार्यालयों में, 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान अपील प्राधिकारियों द्वारा रिमांड किए गए मामलों के रजिस्टर मेनटेन नहीं किए गए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) डी.ई.टी.सीज ने बताया कि अब अपील रजिस्ट्रों का रख-रखाव अलग से किया जाएगा।

2.2.8.3 रिमांड मामलों का निपटान

नमूना-जांच किए गए 10 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) में, वर्ष के आरंभ में लंबित, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्राप्त और निपटान किए गए तथा वर्ष की समाप्ति पर लंबित रिमांड मामलों की संख्या तालिका 2.3 में उल्लिखित है।

तालिका 2.3

(मामलों की संख्या)						
क्र.सं.	वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	कुल	निपटाए गए मामले	निपटान के लिए लंबित मामले
1	2009-10	717	713	1,430	563	867
2	2010-11	867	534	1,401	539	862
3	2011-12	862	1,009	1,871	364	1,507
योग		2,446	2,256	4,702	1,466	3,236

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) डी.ई.टी.सी. ने बताया कि विभाग अधिनियम में संशोधन करेगा तथा इन मामलों को फाईनल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.8.4 एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत फाइनलाइजेशन के लिए लंबित मामले

एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों के रीअसैसमेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, डी.ई.टी.सी. ने, रिमांड आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर रिमांड मामलों का निर्णय करने के लिए सभी ए.ए.ज को जुलाई 1997 में निर्देश जारी किए थे।

सात⁴ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) कार्यालयों में, दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 के बीच रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 3.20 करोड़ के कर वाले, 1977-78 से 2002-03 की अवधि से संबंधित 33 मामले जुलाई 2007 तथा नवंबर 2011 के मध्य रीअसैसमेंट के लिए भेजे गए थे। ये मामले अब भी फाइनलाइजेशन के लिए पेंडिंग थे। विलंब 18 और 60 माह के बीच था जैसा कि तालिका 2.4 में वर्णित है।

3 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल तथा रेवाड़ी।

4 फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी तथा सिरसा।

तालिका 2.4

लंबित रीअसैसमेंट्स	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	6	1.86
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	7	0.56
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	7	0.05
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	13	0.73
कुल	33	3.20

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) प्रधान सचिव ने सभी संबंधित डी.ई.टी.सीज को निदेश दिए कि रिमांड मामलों को 30 जून 2014 तक फाइनल करें।

2.2.8.5 छः माह के विलंब के बाद फाइनल किए गए मामले (एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत)

एच.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत, रिमांड मामलों के रीअसैसमेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, ई.टी.सी. ने सभी ए.एज को, रिमांड आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर रिमांड मामलों का निर्णय करने के लिए जुलाई 1997 में निर्देश जारी किए थे।

दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 के बीच तीन¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में रिमांड मामलों की जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 3.91 करोड़ की कर देयता वाले, असैसमेंट वर्ष 1997-98 से 2002-03 से संबंधित 34 मामले जुलाई 2007 तथा अगस्त 2009 के बीच रीअसैसमेंट के लिए भेजे गए थे। ये मामले अप्रैल 2009 तथा मई 2012 के बीच छः माह की अवधि के पश्चात् फाइनल किए गए थे। रिमांड मामलों के फाइनल एक्शन में विलंब 20 और 42 माह के बीच था, जैसा कि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5

फाइनल की गई रीअसैसमेंट्स	मामलों संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	7	1.23
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	21	2.15
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	6	0.53
कुल	34	3.91

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (प.) में, एक डीलर के तीन मामले, वर्ष 2000-01 से 2002-03 के लिए नए सिरे से असैसमेंट के लिए 8 फरवरी 2005 को अपील प्राधिकारी द्वारा ए.एज को वापस भेजे गए थे। इन वर्षों के लिए असैसमेंट्स, ₹ 74.25 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित कर, मार्च 2011 में फाइनल किए गए थे। फिर भी, बकाया कर की वसूली का नोटिस सर्व नहीं किया जा सका क्योंकि फर्म का प्रोपराइटर ट्रेसेबल नहीं था। इसलिए, अतिरिक्त मांग सृजित करने का प्रयोजन विफल हो गया।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) प्रधान सचिव ने सभी संबंधित डी.ई.टी.सीज को निदेश दिए कि रिमांड मामलों को 30 जून 2014 तक फाइनल करें।

5 फरीदाबाद (प.), गुडगांव (प.) तथा जगाधरी।

2.2.8.6 एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत रिमांड मामलों का निपटान

(i) एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत फाइनलाइजेशन के लिए लंबित मामले

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 18, रिमांड मामलों के निपटान के लिए दो वर्षों की लिमिटेशन अवधि का प्रावधान करता है। ई.टी.सी. ने सभी डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) को, अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किए गए अनुसार लिमिटेशन अवधि के अंदर ऐसे सभी मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता बारे, परामर्श भी दिया था (मार्च 2012)। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई रिमांड मामला टाइम बार्ड हो जाता है तो संबंधित ए.ए. उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएंगे।

दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 के बीच 8⁶ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि अप्रैल 2007 और जून 2011 के बीच वापस भेजे गए, ₹ 20.10 करोड़ के कर वाले 198 मामले 2003-04 से 2007-08 की अवधि से संबंधित फाइनलाइजेशन के लिए लंबित थे यद्यपि, आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। विलंब 1 से 49 माह के बीच थे, जैसा कि तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6

पेंडिंग रीअसैसमेंट्स	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	56	4.14
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	71	6.23
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	51	7.27
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	19	2.38
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	1	0.08
कुल	198	20.10

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि चूक के मामले में प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ii) एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दो वर्षों के बाद फाईनल किए गए मामले

नौ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁷ कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना जांच के दौरान हमने दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के मध्य देखा कि ₹ 6.33 करोड़ के कर वाले, 2003-04 से 2008-09 तक की अवधि से संबंधित 83 मामले जुलाई 2007 और जनवरी 2011 के बीच भेजे गए थे। ये अप्रैल 2009 तथा अप्रैल 2013 के मध्य एक और 46 माह के मध्य श्रृंखलित विलंब के साथ फाईनल किए गए थे जैसा कि तालिका 2.7 में वर्णित है।

6 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल तथा रेवाड़ी।

7 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी तथा रोहतक।

तालिका 2.7

फाईनल की गई रीअसैसमेंटस (आरंभिक दो वर्षों को छोड़कर)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	52	4.82
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	16	0.79
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	10	0.59
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	5	0.13
कुल	83	6.33

इस प्रकार, उपर्युक्त 83 मामले टाइम बाई होने के बाद फाईनल किए गए थे लेकिन विभाग ने डिफाल्टिंग अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एग्जिट कॉफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) प्रधान सचिव ने इस संबंध में सभी डी.ई.टी.सीज के विचार लिखित में मागे।

2.2.8.7 अपील प्राधिकारी के निदेशों का पालन न करना

(i) रीअसैसमेंट फाईनल न करना

जे.ई.टी.सी. (अपील)⁸ ने संबंधित ए.एज को मामले वापस करते समय, मामले एक से तीन माह के बीच निश्चित समय सीमा में रीअसैस करने के लिए निदेश दिए।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁹ कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान हमने दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के बीच नोटिस किया कि जुलाई 2007 तथा मार्च 2012 के बीच भेजे गए, ₹ 19.86 करोड़ के कर वाले, 1998-99 से 2007-08 की अवधि से संबंधित 76 मामले अभी भी लंबित पड़े थे। विलंब आठ से 104 माह के बीच था, जैसा कि तालिका 2.8 में वर्णित है।

तालिका 2.8

लंबित रीअसैसमेंट	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	3	0.33
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	3	0.16
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	15	3.04
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	20	14.23
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	29	1.94
60 माह के बाद परंतु 120 माह तक	6	0.17
कुल	76	19.86

8 अंबाला, फरीदाबाद (प.) तथा रोहतक।

9 भिवानी, गुड़गांव (प.), करनाल तथा सिरसा।

इतने में, ₹ 12.26 करोड़ के कर वाले 23 डीलरों (28 मामले) ने अपने बिजनेस बंद कर दिए थे तथा फर्मों के मालिक ट्रेसेबल नहीं थे। इस प्रकार इन मामलों में वसूली की संभावना कम थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि आगे किसी विलंब के बिना इन मामलों के निपटान के लिए निदेश जारी किए जाएंगे।

(ii) रिमांड मामलों के फाइनलाइजेशन में विलंब

दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹⁰ कार्यालयों में रिमांड मामलों की नमूना-जांच के दौरान, हमने दिसंबर 2012 तथा जुलाई 2013 के बीच नोटिस किया कि अगस्त 2007 तथा अगस्त 2011 के बीच भेजे गए, ₹ 3.54 करोड़ के कर वाले, 1999-2000 से 2007-08 की अवधि से संबंधित 78 मामले एक से 53 माह के बीच श्रंखलित विलंब के बाद फाइनल किए गए थे जैसा कि तालिका 2.9 में वर्णित है।

तालिका 2.9

फाइनल किए गए रीअसेसमेंट्स	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
एक माह के बाद परंतु 12 माह तक	31	1.29
12 माह के बाद परंतु 24 माह तक	24	1.71
24 माह के बाद परंतु 36 माह तक	9	0.23
36 माह के बाद परंतु 48 माह तक	8	0.10
48 माह के बाद परंतु 60 माह तक	6	0.21
कुल	78	3.54

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने बताया कि आगे किसी विलंब के बिना इन मामलों के निपटान के लिए निदेश जारी किए जाएंगे।

2.2.9 रिविजन मामले

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन-34 प्रावधान करता है कि कमिश्नर, अपनी स्वेच्छा से, उसकी अथवा किसी ए.ए. की सहायता के लिए अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष लंबित अथवा द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख, किसी प्रोसीडिंग अथवा उसमें किए गए किसी आदेश की लीगेलिटी अथवा औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन हेतु मांग सकता है तथा उस संबंध में ऐसा आदेश पास कर सकता है जैसा कि वह ठीक समझे बशर्ते कि आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद कोई आदेश संशोधित नहीं किया जाएगा।

10 भिवानी, फरीदाबाद (प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹¹ के 11 मामलों में, डी.ई.टी.सी. (इंस्पेक्शन) ने असैसमेंट फाइलें मंगवाई तथा उन्हें संबंधित ए.एज को जांच के लिए वापस भेजी। इनमें से ₹ 0.27 करोड़ की राशि के तीन मामले जांच के लिए पेडिंग थे तथा शेष आठ मामलों में ₹ 0.44 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी परन्तु वह वसूल नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) डी.ई.टी.सी., रेवाड़ी ने बताया कि शेष राशि वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.2.10 जाली घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम का सेक्शन 8(4) प्रावधान करता है कि सब-सेक्शन (1) के अंतर्गत रियायत, अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक व्यापारी ए.एज को, पंजीकृत व्यापारी, जिसको माल बेचा जाता है, द्वारा फार्म में निर्धारित विवरण शामिल करके विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं करता। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि स्पेसिफिक ट्रेडर्स (जांच के लिए चयन किए गए) के मामलों में, एक वर्ष में एक सिंगल वेट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी ट्रांजेक्शनज की क्रास जांच की जानी चाहिए।

सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹² कार्यालयों में, ग्यारह डीलरों ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 5.74 करोड़ के बिक्री मूल्य के लिए घोषणा प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ' पर कर की रियायती दर क्लेम की जो फार्मों की क्रास जांच पर जाली पाए गए परिणामतः ₹ 45.26 लाख की राशि के टैक्स का अपवंचन हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 1.36 करोड़ का कर भी उद्ग्राह्य था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (जनवरी 2014) ई.टी.सी. ने अधिनियम के अंतर्गत ऐसे धोखेबाजों के विरुद्ध मामले/एफ.आई.आरज दर्ज करने के लिए डी.ई.टी.सीज को निदेश दिए।

2.2.11 आंतरिक नियंत्रण

प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण रखने के लिए, विभाग ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) द्वारा ई.टी.सी. को प्रतिमाह प्रस्तुत की जाने वाली स्टेटमेंट्स/रिटर्नज निर्धारित की।

ई.टी.सी., हरियाणा में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि रिमांड और रिविजन मामलों की प्राप्ति एवं निपटान दर्शाने वाली निर्धारित विवरणियां डी.ई.टी.सी. से प्राप्त नहीं हुई थी तथा विभाग स्तर पर कोई मानीटरिंग नहीं थी और आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज भी पर्याप्त नहीं थी। आडिट पैराग्राफ 2.2.8.1 से 2.2.8.5 में चर्चा की गई अनियमितताएं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं।

11 फतेहाबाद, हिसार, करनाल तथा रेवाड़ी।

12 फरीदाबाद(प.), फतेहाबाद, गुड़गांव (प.), जगाधरी, करनाल, रोहतक तथा सिरसा।

2.2.12 निष्कर्ष

रिमांड और रिविजन मामलों के फाइनलाइजेशन में असामान्य देरी के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की अवसूली हुई। ई.टी.सी. द्वारा जारी निर्देशों का असेसमेंट मामलों के फाइनलाइजेशन में ए.ए.ज द्वारा, पालन नहीं किया गया। रिमांड/रिविजन मामलों का टाइमली मैनेर में निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की कमी थी।

2.2.13 सिफारिशें

मामलों के स्पीडी समायोजन के लिए, प्रणाली की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निम्न स्टेपस पर विचार कर सकती है:

- रिमांड मामलों की मानीटरिंग के लिए अनिवार्य, रिमांड मामलों का रजिस्टर जैसा अभिलेख, संयुक्त आयुक्त (अपील)/डी.ई.टी.सी./ए.ए.-वार, अधिनियम/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बनाए जाएं।
- असेसमेंट मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाए तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली बनाई जाए।

2.3 कर की गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण

2.3.1 कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

2.3.1.1 एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 7(1)(ए)(iv) के अंतर्गत 1 जुलाई 2005 से सूची 'सी' में वर्गीकृत कोई वस्तु चार प्रतिशत की दर पर कर योग्य है तथा अवर्गीकृत वस्तुएं 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। आगे, यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता तो एच.वी.ए.टी. अधिनियम के सेक्शन 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उदग्रह्य है।

21 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹³ में, 133 डीलरों ने 2004-05 से 2009-10 के दौरान ₹ 1,078.97 करोड़ मूल्य का माल बेचा था तथा माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 116.58 करोड़ के भुगतान योग्य कर के विरुद्ध ₹ 27.19 करोड़ का कर भुगतान किया। ए.ए. ने, डीलरों के क्लेम स्वीकार कर लिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 89.39 करोड़ के कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 64.98 करोड़ का ब्याज भी, तालिका 2.10 के अनुसार उदग्रह्य था।

तालिका 2.10

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. की संख्या	डीलरों की संख्या	माल का नाम	बिक्री मूल्य	बिक्रियों की अवधि	उदग्रह्य कर	उदग्रहीत कर	कम/अन उदग्रहीत कर	ब्याज
1	5	20	ग्वार गम	163.11	2007-08 से 2009-10	20.39 @ 12.5 %	शून्य	20.39	12.54
2	12	41	हाई डेसिटी पोलिथीन फ़ैब्रिक	179.74	2006-07 से 2009-10	7.19 @ 4 %	शून्य	7.19	4.91
3	4	7	नेरो वुवन फ़ैब्रिक	27.85	2006-07 से 2009-10	1.11 @ 4 %	शून्य	1.11	0.71
4	2	2	सबमर्सिबल पंपस	3.21	2008-09 से 2009-10	0.40 @ 12.5 %	0.08	0.32	0.16
5	9	14	ट्रेक्टर पार्टस, कोर्न, स्पिंगज, रेडिमेड गारमेंटस, लीज रेंट	17.78	2005-06 से 2009-10	1.63 @ 4 % या 12.5 %	शून्य	1.63	1.08
6.	1	1	लेमिनेटिड क्लोथ, फोम	16.10	2007-08 तथा 2009-10	2.01 @ 12.5%	शून्य	2.01	---
7	1	2	रेलवे ट्रैक मशीन	194.33	2006-07 2008-09 तथा 2009-10	24.29 @ 12.5 % तथा	7.81 @ 4 %	16.48	13.22
8	3	9	मैटीरियल हैंडलिंग एक्विपमेंट	244.75	2007-08 से 2008-09	30.59 @ 12.5 %	9.57 @ 4 %	21.02	17.56

13 अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद (पू.), फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (पू.), गुड़गांव (प.), हिसार, जगाधरी, जींद, बहादुरगढ़ में झज्जर, कैथल, करनाल, मेवात, पंचकूला, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. की संख्या	डीलरों की संख्या	माल का नाम	बिक्री मूल्य	बिक्रियों की अवधि	उद्ग्राह्य कर	उद्गृहीत कर	कम/अन उद्गृहीत कर	ब्याज
9	5	10	पाइप फिटिंगज	73.9	2007-08 से 2009-10	9.2 @ 12.5 %	2.96 @ 4 %	6.24	5.08
10	4	10	मशीनरी पार्टस/आटो पार्टस	49.81	2005-06 से 2008-09	6.22 @ 12.5 %	1.99 @ 4 %	4.23	3.36
11	1	4	स्काफोल्डिंगज	9.73	2008-09	1.22 @ 12.5 %	0.39 @ 4%	0.83	0.69
12	7	13	सोपस, रेडी मिक्स कंक्रीट, सर्जिकल कॉटन, टाईल्स, लीफ स्पिंगज, मोसक्यूटरो रिप्लेंट ओ.टी. टेबल, फायर फिटिंग एक्विपमेंटस, पी.पी.सी. पोलज इत्यादि	98.66	2005-06 से 2009-10	12.33 @ 12.5 %	4.39 @ 4 %	7.94	5.67
कुल				1,078.97		116.58	27.19	89.39	64.98

ये इंगित किए जाने पर, विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस (अक्टूबर 2013) में आडिट आबजरवेशनज स्वीकार कर ली।

2.3.1.2 एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 2(1)(जेड.टी.), वर्क कांट्रैक्ट को कांट्रैक्टर तथा कांट्रैक्टी के बीच समझौते के रूप में परिभाषित करता है जिसमें, नकद, आस्थगत भुगतान, अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए असेंबलिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, आल्टरिंग, विनिर्माण, प्रोसेसिंग, फेब्रिकेशन, इंस्टालेशन, फिटिंग आऊट, इंप्रूवमेंट, रिपेयर अथवा किसी चल अथवा अचल संपत्ति की स्थापना, कार्यान्वित करना शामिल होता है। इस प्रकार, वास्तविक निर्माण आरंभ होने से पहले अथवा निर्माण के कंप्लीशन से पहले डेवेलपर्स अथवा अन्यो द्वारा संभावित उपभोक्ताओं के साथ, पूर्णतः निर्मित अपार्टमेंटस अथवा फ्लैटस के लिए किए गए एग्जीमेंट अथवा कांट्रैक्ट को, भवन के निर्माण के वर्क्स कांट्रैक्ट के निष्पादन के लिए एग्जीमेंटस अथवा कांट्रैक्टस के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, के. रहेजा डेवेलपमेंट कार्पोरेशन वर्सिज कर्नाटक राज्य के केस (पृष्ठ 298 पर 141 एस.टी.सी. में प्रतिवेदित) दिनांक 15 अगस्त 2005, में निर्णय किया गया।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय में, एक व्यापारी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्टस, जिनमें ₹ 81.06 करोड़ की सामग्री शामिल थी, से ₹ 90.32 करोड़ की एकमुश्त आय प्राप्त की थी। डीलर, संभावित खरीददारों से प्राप्त राशि पर, वर्क कांट्रैक्टर के रूप में कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था। डीलर ने, फिरभी, सबकांट्रैक्टरज से ₹ 42.41 करोड़ पर ₹ 1.70 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती कर ली और उसे जमा करवा दिया। ए.ए. ने भी, नवंबर 2011 में कर निर्धारण फाइनल करते समय ₹ 81.06 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 42.40 करोड़ पर कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.34 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार की। ई.टी.सी. ने आगे बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया था कि कर तदनुसार उद्गृहीत कर लिया जाएगा।

2.4 बिक्रियों/क्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के सेक्शन 38 (पूर्ववर्ती एच.जी.एस.टी. अधिनियम के सेक्शन 48) के प्रावधानों के अनुसार यदि एक डीलर ने, अपनी बिक्रियों, क्रयों, राज्य में आयातों राज्य से बाहर निर्यातों अथवा माल के स्टॉक को छिपाने के विचार से झूठे अथवा गलत लेखे बनाए हैं अथवा उस संबंध में कोई विवरण छिपाए हैं अथवा इस अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कोई लेखा, विवरणी, दस्तावेज अथवा सूचना जो किसी सामग्री विशेष में झूठी अथवा गलत हो प्रस्तुत की है या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की हो, ऐसे प्राधिकारी, ऐसे डीलर को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर, जिसके लिए उसे असेस किया गया है अथवा असेस किया जाना उत्तरदायी है, के अतिरिक्त, कर की तीन गुणा राशि (एच.जी.एस.टी. अधिनियम के सेक्शन 48 के अंतर्गत दोगुनी), जो बचा ली जाती यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना जैसा भी मामला हो, सत्य और सही के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, पेनल्टी के रूप में भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है।

2.4.1 बोगस आई.टी.सी. क्लेम/सेल छिपाने के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

मई 2008 तथा जून 2013 के मध्य छ: डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁴ के असेसमेंट अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि मार्च 2008 तथा मार्च 2012 के बीच 14 मामलों में असेसमेंट करते समय ए.ए.ज ने निर्णय किया था कि:

- (क) आठ डीलरों ने बोगस क्रयों पर ₹ 4.79 करोड़ का आई.टी.सी. क्लेम किया था;
- (ख) तीन डीलरों ने ₹ 1.52 करोड़ के कर वाली बिक्रियां छिपाई थी; तथा
- (ग) तीन डीलरों ने ₹ 165.21 करोड़ के कर वाली अंतर्राज्य बिक्री, एफ फार्मों के विरुद्ध राज्य से बाहर बांच ट्रांसफर के रूप में क्लेम की थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के सेक्शन 38 के प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त चूकों के लिए कर तथा पेनल्टी लगाई जानी अपेक्षित थी। ए.ए.ज ने, फिरभी, आई.टी.सी. क्लेम अस्वीकार कर दिए तथा केवल कर उद्गृहीत किया परंतु ₹ 440.76 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए.ज फरीदाबाद (प.) तथा पानीपत ने पांच मामलों में ₹ 423.55 करोड़ की मांग सृजित की थी। विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान आडिट आबजरवेशन भी स्वीकार कर ली थी तथा ई.टी.सी. ने विभागीय अधिकारियों को, मामलों की विस्तार से जांच करने तथा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे जालसाजों के विरुद्ध मामले रजिस्टर करने/एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए निदेश दिए।

14 फरीदाबाद (पू.)-2; फरीदाबाद (प.)-3; जगाधरी-2; पानीपत-4; रेवाड़ी-2 तथा सोनीपत-1.

2.4.2 बिक्री को छिपाना

(i) पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁵ में, हमने देखा कि 13 डीलरों ने 2005-06 से 2008-09 के दौरान ₹ 2.07 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 29.11 करोड़ की बिक्री छिपा ली, इसके अतिरिक्त ₹ 6.23 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, ए.एज फरीदाबाद (प.) तथा गुड़गांव ने तीन मामलों में ₹ 2.25 करोड़ की मांग सृजित की। विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान आडिट आबजरवेशन भी स्वीकार कर ली थी।

(ii) छः डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁶ के आठ मामलों में गलत रिटर्नज की फाइलिंग, गलत लेखाओं के प्रस्तुतिकरण तथा की गई वेरिफिकेशन के कारण ₹ 21.25 करोड़ की बिक्री/क्रय का कंफर्मड गोपन था, यद्यपि ये रिकार्ड में दर्ज था, फिर भी, ए.एज ने इन मामलों में इसे ध्यान में रखे बिना असैसमेंट्स कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ इसके अतिरिक्त ₹ 2.79 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने एक मामले में ₹ 5.13 लाख की मांग सृजित की थी। विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013) आडिट आबजरवेशन भी स्वीकार कर ली थी।

2.4.3 नकली फार्मों के विरुद्ध छूट/दर रियायत

11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁷ में 19 डीलरों ने, 20 मामलों में क्रमशः 'एफ'/'सी' फार्मों के विरुद्ध सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के सेक्शन 6-ए तथा 8 के अंतर्गत राज्य से बाहर प्रेषण/बिक्री पर डिडक्शनज/दर रियायतें क्लेम की थी। इन फार्मों की आगे जांच ने दर्शाया कि छः डीलरों ने 'एफ' फार्मों के विरुद्ध ₹ 5.60 करोड़ की छूट क्लेम की थी तथा 13 डीलरों ने (14 मामलों) 'सी' फार्मों के विरुद्ध ₹ 13.18 करोड़ की दर रियायत क्लेम की थी। आडिट द्वारा टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर जांच द्वारा तथा अन्य राज्यों से पत्राचार के माध्यम से ये फार्म नकली पाए गए। ए.एज ने फिर भी, ये फार्म जांच के बिना स्वीकार कर लिए, परिणामतः ₹ 1.51 करोड़ का कर अपवंचन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 4.54 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार कर ली। ई.टी.सी. ने बताया कि चूककर्ता क्रेता डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अन्य राज्यों के आयुक्तों के साथ मामला उठाया जाएगा।

15 फरीदाबाद (पू.), फरीदाबाद (प.), गुड़गांव (पू.), गुड़गांव (प.) तथा करनाला।

16 अंबाला, फरीदाबाद (पू.), गुड़गांव (पू.), कैथल, पानीपत तथा सिरसा।

17 अंबाला, फरीदाबाद (पू.), गुड़गांव (पू.), गुड़गांव (प.), हिसार, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, पलवल, पानीपत तथा सोनीपत।

2.4.4 बिक्रियों का गलत वर्गीकरण

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के सेक्शन 4(2) के प्रावधानों के अनुसार, माल का विक्रय अथवा क्रय राज्य के अंदर किया जाना माना जाएगा, यदि माल राज्य के भीतर है:

- (क) विशिष्ट अथवा सुनिश्चित माल के मामले में जिस समय बिक्री का काट्रैक्ट किया जाता है; तथा
- (ख) असुनिश्चित अथवा भावी माल के मामले में, विक्रेता अथवा क्रेता द्वारा बिक्री के काट्रैक्ट से उनके विनियोजन के समय, चाहे दूसरी पार्टी का असेंट ऐसे विनियोजन से पहले हो या बाद में।

पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों¹⁸ में, 15 डीलरों (15 मामले) ने 2004-05 से 2008-09 के दौरान राज्य डीलर को ₹ 84.26 करोड़ की बिक्री की तथा बिक्री को अंतर्राज्य बिक्री मानते हुए इन डीलरों से प्राप्त 'सी' फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर का लाभ क्लेम किया। उनकी दलील थी कि क्रय करने वाले स्टेट डीलरों द्वारा माल राज्य से बाहर डीलरों को भिजवाया गया था जो तत्रैव अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही नहीं था क्योंकि स्टेट डीलरों के बीच बिक्री के काट्रैक्ट के समय माल राज्य के भीतर था तथा इस प्रकार लोकल एक्ट के अंतर्गत कर उद्ग्राह्य था। इन मामलों में कर निर्धारण करते समय ए.ए.जे ने भी डीलरों के क्लेम स्वीकार कर लिए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.77 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 20.31 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि देय कर, स्टेट परचेजिंग डीलरों से उद्गृहीत कर लिया गया था तथा संबंधित डी.ई.टी.सी.जे से इस प्रभाव के आवश्यक सर्टिफिकेट्स, मामले के तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर दिए जाएंगे परंतु विभाग इस तथ्य को एस्टेबलिश करने में विफल रहा।

2.4.5 रजिस्टर्ड डीलरों द्वारा कर का अपवंचन

2.4.5.1 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव (पूर्व) के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने नवंबर 2011 में देखा कि दो डीलरों ने संभावित क्रेताओं के लिए 50:50 शेयर आधार पर एक कमर्शियल माल निर्माण के लिए सहयोग एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अनुसार, भूमि पहली पार्टी से संबंधित थी जबकि दूसरी पार्टी को अपनी लागत पर कमर्शियल माल निर्मित/विकसित करना था। प्रत्येक पार्टी अपने हिस्से के संबंध में वित्तीय/कर दायिता निभाने के लिए उत्तरदायी थी। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान कथित माल के निर्माण के लिए ₹ 76.00 करोड़ की राशि की कुल सामग्री प्रयुक्त की गई तथा दूसरी पार्टी ने ₹ 38.00 करोड़ के अपने हिस्से पर चार प्रतिशत की दर पर ₹ 1.52 करोड़ का एकमुश्त कर भुगतान काट्रैक्टर के रूप में किया जबकि पहली पार्टी ने न तो इसे अपनी रिटर्नस/लेखाओं में दर्शाया न ही इस पर कर भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 11.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

18 फरीदाबाद (प.), फरीदाबाद (प.), गुडगांव (प.), गुडगांव (प.) तथा झज्जर।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार की तथा बताया कि चूककर्ता डीलर के मामले में कर निर्धारण कर दिया गया था तथा कर उद्गृहीत कर लिया गया था।

2.4.5.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला में लेखापरीक्षा द्वारा वैट भुगतान की जांच के दौरान, यह देखा गया कि एक डीलर ने 2010-11 के दौरान 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 43.08 करोड़ के वैट सहित ₹ 3.88 करोड़ मूल्य की ए.के.-47 राइफल की होलोग्राफिक वेपन साईट बेची थी। डीलर 27 सितंबर 1996 से रजिस्टर्ड था तथा 2007-08 से शून्य रिटर्न भर रहा था। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 असैसमेंट वर्षों के लिए एनुअल रिटर्न (वैट आर.-2) डीलर द्वारा नहीं भरी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.43 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 1.29 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट आबजरवेशन स्वीकार की तथा बताया कि मामले की रीअसैसमेंट प्रक्रिया अधीन है।

2.4.6 क्रयों/बिक्रियों को परिगणना में न लेना

एक डीलर ने, कमीशन आधार पर ₹ 4.05 करोड़ का धान खरीदा था तथा ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार उसकी धान की बिक्री ₹ 1.36 करोड़ की थी। इस प्रकार, कुल कर निर्धारण योग्य टर्नओवर ₹ 5.82 करोड़ परिकलित की गई (सेल्फ अकाउंट तथा कमीशन अकाउंट लाभ तत्व जोड़ने के बाद) परंतु ₹ 83.47 लाख के जी.टी.ओ. के साथ कर निर्धारित किया। इस प्रकार ₹ 4.99 करोड़ की बिक्री ₹ 19.96 लाख के कर प्रभाव वाले कर निर्धारण से बच गई, इसके अतिरिक्त ₹ 59.86 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने आडिट अभ्युक्तियां स्वीकार की तथा बताया कि रीअसैसमेंटस तथा टैक्स के उद्ग्रहण के लिए आवश्यक निदेश डी.ई.टी.सी. को जारी कर दिए गए थे।

ये अभ्युक्तियां विभाग/सरकार को जारी की गई थी (जुलाई 2013); एग्जिट काफ्रेंस के समय दिए गए उत्तर संबंधित पैराज में शामिल कर लिए गए थे (अक्टूबर 2013)।

2.5 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सेक्शन 14(6) साथ में निर्धारित करता है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की (11 अक्टूबर 2007 से एक प्रतिशत) दर पर साधारण ब्याज यदि भुगतान नब्बे दिनों के अंदर किया जाता है तथा तीन प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर (11 अक्टूबर 2007 से दो प्रतिशत) यदि चूक नब्बे दिनों के बाद जारी रहती है, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि से उसके भुगतान करने की तिथि तक समस्त अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तर दायी होगा। ई.टी.सी. हरियाणा ने सितंबर 1993 में निर्देश जारी किए कि कर निर्धारण के साथ पेनल प्रोसीडिंगज फाइनलाइज करना प्रत्येक ए.ए. का कर्त्तव्य है और यदि किसी कारण से पेनल कार्यवाही लंबित रखी जाती है तो वह कर निर्धारण के छः माह के अंदर पूरी की जानी चाहिए।

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

तीन मामलों में दो डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में मार्च 2012 में वर्ष 2008-09 के लिए कर निर्धारण फाइनल करते समय, ए.ए. ने ₹ 7.77 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परंतु दो मामलों में ब्याज उद्गृहीत नहीं किया तथा एक मामले में कम ब्याज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप तालिका 2.11 में दिए गए विवरणानुसार ₹ 5.85 करोड़ के ब्याज का अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

तालिका 2.11

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	असैसमेंट वर्ष तथा असैसमेंट की तिथि	देय कर जिस पर ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया	ब्याज की राशि			टिप्पणियां
				उद्ग्राह्य	उद्गृहीत	अन्/कम उद्गृहीत	
(₹ लाख में)							
1.	डी.ई.टी.सी. (एस), गुडगांव (पश्चिम)	2008-09 (मार्च 2012)	4.17	3.42	शून्य	3.42	ए.ए. ने मार्च 2013 में ₹ 3.42 लाख की राशि का ब्याज उद्गृहीत किया
2.	-सम-	2008-09 (मार्च 2012)	15.15	12.73	2.14	10.59	ए.ए. ने अप्रैल 2013 में ₹ 11.33 लाख की राशि का ब्याज उद्गृहीत किया
3.	डी.ई.टी.सी. (एस), गुडगांव (पूर्व)	2008-09 (मार्च 2012)	757.84	570.69	शून्य	570.69	ए.ए. ने आदेश को ठीक किया तथा अप्रैल 2013 में रिटर्नज के अनुसार कर का भुगतान न करने के लिए ₹ 6.13 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत किया
योग			777.16	586.84	2.14	584.70	

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013) विभाग ने आडिट आबजरवेशनज स्वीकार की।

अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

1-1015318

1015318

अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबन्ध

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न बिक्रियों के लाईसेंस की अनुमति हेतु नियत, निर्धारित एवं नीलामी फीस तथा डिस्टिलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट एवं बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है। सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर कलक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज), सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 369 मामलों में ₹ 16.53 करोड़ की राशि के उत्पाद-शुल्क, लाईसेंस फीस तथा पेनल्टी इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो तालिका 3.1 की श्रेणियों में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)			
1.	लाईसेंसधारकों से लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली	01	8.56
2.	लाईसेंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	109	2.12
3.	अवैध शराब पर जुर्माने की अवसूली	53	0.50
4.	विविध अनियमितताएं	206	5.35
	कुल	369	16.53

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 79 मामलों में आवेष्टित ₹ 47.11 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 71 मामलों में आवेष्टित ₹ 40.23 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए आठ मामलों में ₹ 6.88 लाख वसूल किए।

₹ 12.15 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

आडिट फाइंडिंग

3.2 लाईसैंसधारकों से लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली

3.2.1 लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा शराब लाईसैंस नियम (एच.एल.एल. नियम), लाईसैंसधारी/लाईसैंसधारक आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 15वीं/20वीं तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों के भुगतान का प्रावधान करते हैं, ऐसा करने में विफल रहने पर वह, माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसधारी दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

3.2.1.1 वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों में हमने देखा कि 119 लाईसैंसधारक अप्रैल 2009 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु निर्धारित तारीखों तक लाईसैंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त का भुगतान करने में विफल रहे। लाईसैंसधारकों ने देय ₹ 82.94 करोड़ में से केवल ₹ 77.99 करोड़ का भुगतान किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, एक से तीन वर्षों की चूक के बाद भी दुकानों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की लाईसैंस फीस की वसूली नहीं हुई।

3.2.1.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी), रोहतक तथा रेवाड़ी के कार्यालयों में हमने देखा कि 12 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए निर्धारित तिथि तक ₹ 6.30 करोड़ की सम्पूर्ण लाईसैंस फीस जमा नहीं करवाई। उन्होंने ₹ 3.12 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुए केवल ₹ 3.33 करोड़ (₹ 15 लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी सहित) का भुगतान किया। विभाग ने उनके रिटेल लिंकर आऊटलेट रद्द कर दिए तथा ₹ 15 लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी जब्त कर ली। ये रिटेल आऊटलेट पुनः आबंटित नहीं किए जा सके तथा विभाग ने बकाया लाईसैंस फीस वसूल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई आरंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2013)। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), पलवल ने बताया कि ₹ 1.62 लाख की लाईसैंस फीस की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 8.05 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

3.2.2 बिक्रियों के आबंटन से पहले श्योरिटी बांड एकत्र नहीं किए गए

वर्तमान राज्य आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक सफल आबंटी से व्यापार आरंभ करने से पहले संबंधित तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रमाणित संपन्नता प्रमाण-पत्र तथा बिक्री की लाईसैंस फीस के बराबर राशि की संपन्नता वाले दो संपन्न व्यक्तियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित

नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एम-75 (सियोरिटी बांड) के दो सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। ऐसा करने में विफलता लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त आधार होगी। लाइसेंस फीस के बकाये पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 के अंतर्गत भी वसूल किए जा सकते हैं।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव, रोहतक तथा रेवाड़ी के कार्यालय में हमने देखा कि 26 लाइसेंसधारकों ने एम-75 (सियोरिटी बांड) प्रस्तुत नहीं किए। हमने यह भी देखा कि डी.ई.टी.सी. (आबकारी), रेवाड़ी ने संबंधित चूककर्ता लाइसेंसधारकों को केवल नोटिस जारी किए थे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव तथा रोहतक ने चूककर्ता लाइसेंसधारकों से सियोरिटी बांड्स (एम-75) नहीं लिए तथा वसूली प्रमाण-पत्र पी.एल.आर. एकट के अंतर्गत जारी नहीं किए गए थे। आबकारी नीति के अंतर्गत अपेक्षितानुसार एक से तीन वर्षों के बीच जाने के बाद भी डी.ई.टी.सी. (आबकारी), द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि सभी सियोरिटी बांडों को पूरा करने के लिए निदेश जारी कर दिए गए थे।

3.2.3 सिक्युरिटी और अतिरिक्त सिक्युरिटी जमा न करना/कम जमा करना

वर्ष 2011-12 की राज्य आबकारी नीति के साथ पठित एच.एल.एल. नियमों के अंतर्गत, खुदरा लाइसेंसप्राप्त शराब की दुकान के प्रत्येक सफल आबंटी को लाइसेंसप्राप्त दुकान के वार्षिक लाइसेंस शुल्क का पांच प्रतिशत लॉट्स के ड्र के दिन, पांच प्रतिशत आबंटन/लॉट के ड्र के सात दिनों के भीतर या संबंधित वर्ष की 31 मार्च या उससे पहले, जो भी पहले हो तथा 10 प्रतिशत संबंधित वर्ष की 7 अप्रैल तक जमा करवाना अपेक्षित है। शेष 80 प्रतिशत बिक्री के परिचालन के माह से आरंभ होने वाले माह तथा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक नौ समान मासिक किस्तों में तब तक भुगतान योग्य होगा जब तक संपूर्ण लाइसेंस फीस वसूल नहीं कर ली जाती। यदि आबंटी/लाइसेंसधारी निर्धारित समय में सिक्युरिटी का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा तथा जमा की गई सिक्युरिटी, यदि कोई हो, जब्त कर ली जाएगी। आगे, ₹ 75 लाख तक या ₹ 75 लाख से अधिक तक लाइसेंस शुल्क वाले खुदरा लाइसेंसप्राप्त शराब की दुकान द्वारा क्रमशः ₹ एक लाख और ₹ दो लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी का भुगतान किया जाना है। अतिरिक्त सिक्युरिटी की राशि वर्ष की समाप्ति पर वापस कर दी जाएगी जब लाइसेंसधारी के विरुद्ध कुछ देय नहीं होगा। यदि आबंटी वार्षिक लाइसेंस फीस के 20 प्रतिशत के बराबर सिक्युरिटी जमा का भुगतान करने में विफल रहता है तथा ब्याज सहित लाइसेंस फीस की नौ समान किस्तों के भुगतान में दोषी है तो अनुवर्ती माह की पहली तारीख से लाइसेंसधारी दुकान में प्रचालन बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) वित्तायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मूल आबंटी के जोखिम एवं लागत पर इसे पुनः आबंटित कर सकता है।

(क) डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव के कार्यालय में वर्ष 2011-12 के लिए हमने देखा कि वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 16.64 करोड़ के लिए 17 रिटेल आऊटलेट लाइसेंसधारकों ने निर्धारित तारीख (07 अप्रैल 2011) तक सिक्युरिटी की पूरी राशि जमा नहीं करवाई थी। चार आबंटियों ने ₹ 20 लाख की सिक्युरिटी राशि जमा नहीं करवाई। आगे, 17 लाइसेंसधारकों ने ₹ 29 लाख की अतिरिक्त सिक्युरिटी राशि का भुगतान नहीं किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी)

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

ने संबंधित चूककर्ता लाईसैंसधारकों को नोटिस जारी किए तथा आगे अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, लाईसैंसधारकों से अतिरिक्त सिक्युरिटी वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49 लाख (सिक्युरिटी ₹ 20 लाख तथा अतिरिक्त सिक्युरिटी ₹ 29 लाख) की सिक्युरिटी तथा अतिरिक्त सिक्युरिटी राशि जमा नहीं/कम जमा करवाई गई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 49 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

(ख) पुनःनीलामी पर अन्तरीय लाईसैंस फीस की अवसूली

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों में हमने देखा कि 11 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने ₹ 5.38 करोड़ में से ₹ 4.06 करोड़ की लाईसैंस फीस जमा नहीं करवाई। विभाग ने उनके रिटेल शराब आऊटलेट रद्द कर दिए तथा सम्पूर्ण सिक्युरिटी राशि जम्मा कर ली। मूल लाईसैंसधारकों के जोस्विम एवं लागत पर ₹ 2.61 करोड़ के लिए शेष अवधि हेतु सितंबर 2010 तथा जनवरी 2012 के मध्य ये खुदरा दुकानें पुनः नीलाम/आबटित की गई थी। विभाग ने मूल आबटियों से ₹ 1.45 करोड़ (₹ 4.06 करोड़ - ₹ 2.61 करोड़) की लाईसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(ग) ब्याज की अवसूली/कम वसूली

एच.एल.एल. नियम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों के भुगतान का प्रावधान करते हैं, ऐसा करने में विफल रहने पर लाईसैंसधारी को माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाती है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के छः कार्यालयों में हमने देखा कि 130 लाईसैंसधारियों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2012 की मध्य अवधि हेतु ₹ 55.04 लाख की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात् किया। विलम्ब 20 दिनों से एक वर्ष के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, दुकानों को बंद/सील करने तथा लाईसैंस फीस के विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज उदग्रहण के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 96.89 लाख के ब्याज का अनुदग्रहण हुआ।

- 1 फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पलवल, पानीपत तथा सोनीपत।
- 2 फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा पानीपत।

हमने मामला मार्च 2012 तथा मई 2013 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित किया तथा जुलाई 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), झज्जर तथा कुरूक्षेत्र ने बताया कि 10 मामलों में ₹ 2.64 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी। ₹ 2.39 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

3.3 शराब के तिमाही कोटे से कम कोटा उठाने के लिए जुर्माने का अनुद्ग्रहण/अवसूली

एच.एल.एल. नियमों में प्रावधान है कि लाईसैंसधारक निर्धारित तिमाही अनुसूची के अनुसार उसकी बिक्री के लिए आबटित सी.एल. तथा आई.एम.एफ.एल. का सम्पूर्ण मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें विफल रहने पर अपूर्ण प्रमात्रा के लिए सी.एल. तथा आई.एम.एफ.एल. के लिए क्रमशः प्रति पूफ लीटर (पी.एल.) ₹ 20 तथा ₹ 65 की दर पर शास्ति लगाई जाएगी।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के भिवानी, गुड़गांव तथा पलवल कार्यालयों में हमने देखा कि सभी 31 लाईसैंसधारकों ने 11.98 लाख पी.एलज के निर्धारित सम्मिश्रित कोटे में से 1.81 लाख पी.एलज कम उठाते हुए 10.17 लाख पी.एलज (सी.एल.: 3.47 लाख पी.एलज तथा आई.एम.एफ.एल.: 6.70 लाख पी.एलज) उठाया। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने ₹ 92.59 लाख की राशि की शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

हमने मामला सरकार को इंगित किया जिसने एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 36.65 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 55.94 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

3.4 अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण/अवसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 के अंतर्गत 750 एम.एल. की प्रत्येक बोतल पर न्यूनतम ₹ 50 तथा अधिकतम ₹ 500 की शास्ति अवैध शराब³ के स्वामित्व हेतु दोषी पर उद्ग्रह्य है। आगे, हरियाणा शास्ति आरोपण तथा वसूली नियम, 2003 प्रावधान करता है कि यदि जुर्माने का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी। इस पर किए गए व्यय को काटने के पश्चात् नीलामी राशि को जुर्माने के भुगतान की ओर समायोजित किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि,

3 अवैध शराब का तात्पर्य किसी गुणवत्ता जांच के बिना गुप्त रूप से/अवैध रूप से तैयार की गई तथा स्वीकार्य से उच्चतर मादक केन्द्रीकरण के कारण मानव खपत हेतु अनुपयुक्त शराब से है।


यदि कोई हो, स्वामी को वापस की जाएगी। शास्ति की अवसूलित राशि, यदि कोई हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), कैथल, कुरूक्षेत्र तथा जींद के कार्यालयों में हमने देखा कि विभाग ने जनवरी 2009 तथा सितंबर 2011 के मध्य 171 मामलों में अवैध देशी शराब की 29,402 बोतलें रोक ली थी तथा चार वाहन {डी.ई.टी.सी. (आबकारी), कुरूक्षेत्र} जब्त किए थे। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के पश्चात 163 मामलों का निर्णय किया तथा 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 14.69 लाख की शास्ति लगाई और आठ मामलों में ₹ 9.36 लाख की शास्ति नहीं लगाई जा सकी। न तो दोषियों ने शास्ति का भुगतान किया और न ही विभाग ने 12 से 24 माह⁴ की समाप्ति के बाद भी जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करके राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। हरियाणा शास्ति आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 24.06 लाख की शास्ति की वसूली नहीं हुई।

हमने जुलाई 2013 में मामला सरकार को इंगित किया जिसने एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 3.22 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 20.84 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4 विलम्ब, जुर्माना लगाने की तारीख से मार्च 2012 तक परिकलित किया गया।

अध्याय - 4
स्टाम्प शुल्क



1 - 2134
1957

अध्याय 4: स्टाम्प शुल्क

4.1.1 कर प्रबंध

राज्य में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) तथा पंजीकरण फीस (आर.एफ.) से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। सरकारी स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में आई.एस. अधिनियम तथा आई.आर. अधिनियम एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के संप्रयोग हेतु उत्तरदायी है। एस.डी. तथा आर.एफ. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता 21 उपायुक्तों (डी.सी.), 67 तहसीलदारों तथा 46 नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों (एस.आर.ज) तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.ज) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 793 मामलों में ₹ 68.26 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण प्रकट किया जो मोटे तौर पर तालिका 4.1 में विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
राजस्व विभाग			
1.	विकास करारों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण एवं संग्रहण	01	60.39
2.	भूमि के क्रय पर आवासीय दरों के अप्रभारण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली	254	1.26
3.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से निम्नतर प्रतिफल पर सम्पत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	75	1.64
4.	अचल सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क की अवसूली/कम वसूली	214	2.05
5.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	17	0.07
6.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	17	1.12
7.	विविध अनियमितताएं	215	1.73
योग		793	68.26

वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 707 मामलों में आवेष्टित ₹ 8.16 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कभियां स्वीकार की जिसमें से 686 मामलों में आवेष्टित ₹ 8.14 करोड़ वर्ष के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गये थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 21 मामलों में ₹ 2.52 लाख वसूल किए।

₹ 65.27 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

ऑडिट फाइंडिंग

4.2 विकास करारों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

4.2.1 प्रस्तावना

भू-स्वामियों तथा डेवलपरो के मध्य निष्पादित विकास अनुबंध कुछ आवासीय/शॉप-कम-फ्लैट्स/कैश के रूप में प्रतिफल के बदले में डेवलपर को अचल संपत्तियों का स्वामित्व सौंपता है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए छः जिलों में किए गए विकास अनुबंधों की अप्रैल से जुलाई 2013 के मध्य नमूना-जांच की गई थी। हमने निर्माण गतिविधियों की प्रमात्रा के आधार पर इकाइयों का चयन किया। विभाग द्वारा दिए गए सुझाव पर लेखापरीक्षा के क्षेत्र में रोहतक जिला शामिल किया गया था। आडिट फाइंडिंग अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी गई हैं।

4.2.2 बिक्री विलेखों का संयुक्त अनुबंध में गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

आई.एस. अधिनियम की धारा 2(10) प्रावधान करती है कि 'हस्तांतरण' में बिक्री तथा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा चल या अचल सम्पत्ति एक जीवित व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित की जाती है, सम्मिलित है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-1 ए द्वारा विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं की जाती है। आगे, सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार 'बिक्री', प्रदत्त अथवा प्रतिज्ञात अथवा आंशिक प्रदत्त अथवा आंशिक प्रतिज्ञात मूल्य हेतु विनियम में स्वामित्व का हस्तांतरण है। दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें दर्ज लेन-देनों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

हमने देखा कि छः जिलों से संबंधित 228 संयुक्त अनुबंध उस भूमि, जिस पर भूमि की बिक्री से अनावेष्टित समझौते के प्रकरण में लागू अनुसार ₹ 1.66 लाख का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्ग्रहीत किया गया था, के संबंध में जून 2007 तथा मार्च 2013 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। इन समझौतों की जांच ने आगे प्रकट किया कि भू-स्वामियों ने विकसित भूमि का एक हिस्सा प्राप्त करने तथा/या आंशिक अदायगी प्राप्त करने हेतु डेवलपरो को शॉप-कम-फ्लैट्स एवं आवासीय मकानों का निर्माण, बिल्टअप करने के अधिकार सहित भूमि का आधिपत्य लेने हेतु अधिकृत किया। डेवलपरज विकसित भूमि के अपने हिस्सों का निपटान ऐसे ढंग से करने हेतु हकदार थे जैसा कि वे मालिकों से कोई सहमति प्राप्त किए बिना उचित समझें। अतः, विकास का अधिकार/संयुक्त अनुबंध हस्तांतरण विलेख थे और डेवलपर के भूमि के हिस्से के संबंध में सम्पत्ति के विक्रय पर एस.डी. भुगतान करने हेतु दायी थे। कलैक्टर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार डेवलपरो को हस्तांतरित भूमि का कुल मूल्य ₹ 1,190.76 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 60.41 करोड़ का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्ग्रहण था। तथापि,

1 फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पंचकुला, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

2 (i) गुड़गांव: 71; मानेसर (गुड़गांव): 13; सोहना (गुड़गांव): 13; (ii) पंचकुला: 09; (iii) करनाल: 07; (iv) फरीदाबाद: 51; बल्लभगढ़ (फरीदाबाद): 02; (v) रेवाड़ी: 03; धारूहेड़ा (रेवाड़ी): 03; (vi) सोनीपत: 42 तथा आई.आर. मामले: 14.

पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 60.41 करोड़ के बजाए ₹ 1.66 लाख का एस.डी. प्रभारण करते हुए बिक्री के अनुबंध के रूप में इन दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.39 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.2.3 आई.एस. अधिनियम की धारा-47 ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए अवमूल्यांकन के मामलों के निपटान हेतु समय सीमा का अभाव

आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत यदि पंजीकरण अधिकारी के पास इस आशय का कोई प्रमाण है कि सम्पत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलैक्टर के पास भेज सकता है। उसके बाद कलैक्टर, संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने के बाद, सार-जांच करना, जैसा वह उचित समझे तथा संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय कम शुल्क की राशि का निर्धारण करना अपेक्षित है। कलैक्टर को भेजे गए ऐसे मामले कलैक्टर के कार्यालय में रखे गए फार्म-3 में रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। निर्णय आदेश भी इस रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। उनके अंतिमकरण के पश्चात् ये निर्णय मामले संबंधित पंजीकरण अधिकारी को वापस किए जाते हैं जो कम शुल्क की वसूली की निगरानी करेगा।

करनाल, बल्लभगढ़ तथा सोनीपत के कलैक्टरों के संदर्भ रजिस्ट्रों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि तीन एस.आर.ज द्वारा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मार्च 2012 तथा मई 2013 के मध्य कलैक्टरों को एस.आर.ज द्वारा संदर्भित ₹ 1.10 करोड़ के एस.डी. से आवेष्टित 14 मामलों में निर्णय लंबित थे। मामलों के निर्णय में विलंब दो से 17 माह के मध्य श्रृंखलित रहा। हमने देखा कि निर्णय के अंतर्गत ऐसे मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ऐसे विकास अनुबंधों पर बिक्री/हस्तांतरण विलेखों के लिए निर्धारित दर के अनुसार एस.डी. के उद्ग्रहण के बारे में 1 अक्टूबर 2013 को अधिसूचना जारी की गई थी तथा आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत संदर्भित मामलों का दो माह के भीतर अंतिम रूप देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

4.3 अचल सम्पत्ति की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

नवम्बर 2000 में जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार, नगरपालिका सीमाओं के भीतर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई भूमि एस.डी. के उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु उस स्थान की आवासीय सम्पत्ति के लिए नियत दर पर मूल्यांकित की जाए।

जे.एस.आर.ज/एस.आर.ज के 22 कार्यालयों के अभिलेखों से हमने देखा कि उपर्युक्त अधिसूचना के पैरामीटर के भीतर आने वाले प्लॉटों के 134 बिक्री विलेख अप्रैल 2010 तथा मार्च 2012

के मध्य पंजीकृत किए गए थे। विलेख, आवासीय क्षेत्रों के लिए नियत दरों पर आधारित ₹ 41.78 करोड़ के लिए निर्धारित किए जाने दायी थे और ₹ 2.59 करोड़ का एस.डी. प्रभाय था। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर आधारित ₹ 10.71 करोड़ हेतु विलेख निर्धारित किए तथा ₹ 64.29 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

जुलाई 2013 में मामला सरकार को संदर्भित किया जिसने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 75,000 के एस.डी. की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 1.94 करोड़ के एस.डी. की बकाया राशि वसूल करने के लिए सख्त अनुपालन हेतु पंजीकरण प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए थे।

4.4 अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

मार्च 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत मई 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क बेची जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य पर उद्गृहीत की जाएगी न कि खरीददार तथा विक्रेता के मध्य माने गए मूल्य के आधार पर। यदि पंजीकरण अधिकारी के पास इस आशय का कोई प्रमाण है कि सम्पत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल, जैसा भी मामला हो, तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलैक्टर के पास भेज सकता है।

4.4.1 एस.आरज/जे.एस.आरज के 21 कार्यालयों³ के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 47 मामलों में पंजीकरण प्राधिकारियों ने पहले ही पार्टियों के मध्य मानी गई दरों के आधार पर ₹ 3.25 करोड़ पर भूमि के मूल्य का निर्धारण किया तथा ₹ 13.67 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया किंतु दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू कलैक्टर दर के अनुसार अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य ₹ 21.10 करोड़ था तथा ₹ 1.16 करोड़ का एस.डी. उद्ग्रहण था, परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.4.2 एस.आर. के चार कार्यालयों⁴ में हमने देखा कि पांच खरीददारों ने मई 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य ₹ 12.55 करोड़ के प्रतिफल हेतु भूमि खरीदी। तीन मामलों में ₹ 1.37 करोड़ हेतु खरीदी गई औद्योगिक/आवासीय भूमि को कृषीय भूमि के रूप में माना गया था तथा कलैक्टर रेट के अनुसार ₹ 4.55 करोड़ पर उद्ग्रहण ₹ 20.43 लाख के एस.डी. के विरुद्ध ₹ 8.18 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.25 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ। अन्य दो मामलों में ₹ 11.18 करोड़ तथा सरकार एवं स्वायत्त निकायों अर्थात् बिजली बोर्ड के मध्य 33 वर्षों की अवधि हेतु ₹ 500 प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि जमा ₹ 15,000 प्रति एकड़ के वार्षिकी वैल्यू के साथ ₹ 30/35 लाख प्रति एकड़ के मूल्य पर समझौते के आधार पर निर्धारण योग्य भूमि का मूल्य/दर पर कृषीय भूमि खरीदी गई थी। पंजीकरण प्राधिकारी ने वार्षिकी वैल्यू तथा वार्षिक वृद्धि पर विचार किए बिना कृषीय भूमि

3 बेहल, चरखीदादरी, लोहारू, भिवानी, सोहना, सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, कोसली, धारूहेड़ा, पानीपत, पटौदी, फिरोजपुर (झिरका), नूंह, अंबाला छावनी, नारायणगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मुलाना, जगाधरी तथा मुस्तफाबाद।

4 पलवल, पटौदी, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

के आधार पर ₹ 55.89 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया यद्यपि ₹ 65.84 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.55 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी ने इसे प्रतिफल एवं देय उचित शुल्क के रूप में मूल्य के निर्धारण हेतु कलैक्टर के पास नहीं भेजा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.20 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 79,000 के एस.डी. की राशि वसूल की गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 1.23 करोड़ के एस.डी. की बकाया राशि वसूल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

4.5 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन

किसी दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें दर्ज लेन-देनों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

एस.आर.ज के छः कार्यालयों⁵ में हमने देखा कि क्रेताओं, जिनसे विक्रेताओं ने प्रतिफल की पूरी राशि प्राप्त की, को ₹ 12.47 करोड़ पर मूल्यांकित संपत्ति के स्वामित्व एवं हस्तांतरण दर्शाने वाले 21 दस्तावेज ₹ 1,560 के एस.डी. का प्रभारण करते हुए बेचने के लिए अनुबंधों के रूप में गलत वर्गीकृत किए गए थे जो हस्तांतरण विलेखों के लिए ₹ 68.64 लाख पर उद्ग्रहण शुल्क के विरुद्ध गलत था परिणामस्वरूप ₹ 68.63 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने मई 2013 में मामला सरकार को रिपोर्ट किया जिसने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 2.10 लाख के एस.डी. की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 66.53 लाख के एस.डी. की बकाया राशि वसूल करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

4.6 अचल सम्पत्ति के अव-मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन

आई.एस. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस अधिनियम की धारा 64 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी अपेक्षित तथ्य एवं परिस्थितियां, पूर्णतया तथा सत्य रूप से सामने नहीं रखे गए हैं, जुर्माना, जो प्रति दस्तावेज ₹ 5,000 तक बढ़ाया जा सकता है, सहित दंडनीय है।

5 एस.आर.ज: बहादुरगढ़, गुड़गांव, जगाधरी, झज्जर, कैथल तथा सोहना।

19 पंजीकरण कार्यालयों में हमने देखा कि ₹ 10.06 करोड़ मूल्य की अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु 60 हस्तान्तरण विलेख पंजीकृत किए गए थे। संबंधित पार्टियों के बीच निष्पादित अनुबंधों के साथ इन विलेखों के क्रॉस सत्यापन ने प्रकट किया कि इन अनुबंधों का कुल विक्रय मूल्य ₹ 25.10 करोड़ परिकल्पित किया गया था परिणामस्वरूप अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.13 लाख के एस.डी. का अपवचन हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार दस्तावेजों में गलत सूचना के लिए अधिकतम ₹ 3.00 लाख का जुर्माना भी उद्घाह्य था।

हमने जून 2013 में मामला सरकार को रिपोर्ट किया जिसने एगिजट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 20,000 की पेनल्टी सहित ₹ 2.18 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 2.80 लाख की पेनल्टी सहित ₹ 58.95 लाख के एस.डी. की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.7 स्टाम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ

आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने निष्पादकों के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्वयं अधिगृहीत अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों के संबंध में एक प्रतिशत तक एस.डी. कम किया।

आठ कार्यालयों में गिफ्ट विलेखों की जांच ने दर्शाया कि गिफ्ट विलेखों के 100 दस्तावेज जिनके संबंध में डोनीज उन लोगों से अन्य थे जिन्हें उपर्युक्त अधिसूचना में अनुमत किया गया था तथा उन 100 दस्तावेजों को एक प्रतिशत एस.डी. की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 29.44 लाख की सीमा तक राज्य राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

हमने जुलाई 2013 में मामला सरकार को इंगित किया जिसने एगिजट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 6.43 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 23.01 लाख के एस.डी. की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.8 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत अगस्त 1995 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार उन किसानों, जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अधिगृहित की गई थी, द्वारा मुआवजे की प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर कृषिय भूमि की खरीद कवर करने वाले बिक्री विलेखों के संबंध में एस.डी. माफ करती है। माफी केवल मुआवजे की राशि तक सीमित होगी तथा कृषिय भूमि के क्रय में आवेष्टित अतिरिक्त राशि, नियमों के अनुसार एस.डी. हेतु दायी होगी।

6 जे.एस.आर.: बालसमंद, बेहल, राजौंद तथा उकलाना।

एस.आरज: बेरी, बहादुरगढ़, बाढ़ा, बल्लभगढ़, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, गुहला, हिसार, हांसी, झज्जर, लोहारू, नारनौल, नारनौंद, नुंह तथा पुन्धाना।


7 बालसमंद, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हिसार, कालका, पंचकुला, पानीपत तथा रायपुरानी।

जे.एस.आर./एस.आर. के चार कार्यालयों में हमने देखा कि 15 मामलों में किसानों, जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई थी, ने ₹ 1.79 करोड़ मूल्य की आवासीय तथा कृषीय भूमि खरीदी। 13 मामलों में किसानों ने पांच से सात प्रतिशत की दर पर ₹ 7.14 लाख मूल्य का एस.डी. आकर्षित करते हुए ₹ 1.24 करोड़ मूल्य की आवासीय भूमि खरीदी। एस.डी. के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 7.14 लाख की हानि हुई। अन्य दो मामलों में ₹ 55.22 लाख पर पांच प्रतिशत की दर से ₹ 2.76 लाख का एस.डी. उद्ग्रहण था क्योंकि मुआवजे की राशि की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष बाद जमीन खरीदी गई थी। इस प्रकार एस.डी. की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 9.90 लाख की सीमा तक एस.डी. का अनुद्ग्रहण हुआ।

हमने जून 2013 में मामला सरकार को रिपोर्ट किया जिसने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 1.32 लाख के एस.डी. की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 8.58 लाख के एस.डी. की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

अध्याय - 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर



अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबंध

5.1.1.1 यात्री एवं माल कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, चंडीगढ़ के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहनों के मालिक का आवास अथवा व्यापार का स्थल है जहां राज्य में वाहन सामान्यतः रखे जाते हैं, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाए जाने अपेक्षित हैं।

5.1.1.2 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल ढोने के लिए परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परमिटों का निर्गम/ड्राईविंग/कण्डक्टर लाईसेंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसेंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू, और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है तथा राज्य में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रबंध हेतु उत्तरदायी है और परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करता है, द्वारा सहायता प्राप्त है। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 57 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान वाहनों पर करों, माल एवं यात्री पर करों तथा अन्य कर प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व से संबंधित परिवहन, आबकारी एवं कराधान विभागों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच ने 4,816 मामलों में ₹ 9.53 करोड़ की राशि के कर/शुल्क, फीस तथा पेनल्टी इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की जो मोटे तौर पर तालिका 5.1 में श्रेणियों के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: परिवहन विभाग (वाहनों पर कर)			
1	मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	1.33
2	बोली धन की अवसूली	27	0.77
3	स्टेज कैरिज बसों/कंबाइन हारवेस्टर्ज इत्यादि के संबंध में टोकन/रोड़ टैक्स की अवसूली/कम वसूली	224	0.29
4	भारी/हल्के परिवहन वाहनों के मालिकों से परमिट/काउंटर सिग्नेचर फीस की कम वसूली	299	0.17
5	प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम-वसूली	306	0.13
6	अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों पर पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	195	0.08
7	विविध अनियमितताएं	1,905	2.14
योग		2,957	4.91
ख: आबकारी एवं कराधान विभाग (माल एवं यात्रियों पर कर)			
1	सहकारी परिवहन समितियों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	01	2.56
2	सहकारी समितियों/शैक्षणिक संस्थाओं के बस मालिकों से यात्री कर की अवसूली	374	1.28
3	माल कर की अवसूली	1,240	0.62
4	विविध अनियमितताएं	244	0.16
योग		1,859	4.62
कुल योग		4,816	9.53

वर्ष 2012-13 में विभाग ने 1,223 मामलों में ₹ 1.09 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 1,219 मामलों में आवेष्टित ₹ 108.64 लाख वर्ष 2012-13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 में 100 मामलों में ₹ 10.54 लाख वसूल किए जिनमें से 96 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.96 लाख वर्ष 2012-13 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे। इस अध्याय में ₹ 1.33 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली "मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां" पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 2.56 करोड़ से आवेष्टित व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

5.2 मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां

5.2.1 विशिष्टताएं

- वाहनों के पंजीकरण हेतु आवेदन 21 दिनों के विलंब के पश्चात् फाइल किए गए थे, विभाग द्वारा 650 एकबारगी कर भुगतान किए गए मामलों में देय पेनल्टी नहीं लगाई गई थी परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।
(अनुच्छेद 5.2.9)
- विभाग 569 वाहनों के संबंध में प्राइवेट/माल वाहनों से ₹ 35.24 लाख की राशि का टोकन टैक्स वसूल करने में विफल रहा।
(अनुच्छेद 5.2.11.1 तथा 5.2.11.2)
- कैशबुक के अनुचित रख-रखाव तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण ₹ 5.32 लाख का गबन हुआ।
(अनुच्छेद 5.2.12.1)
- विभाग 242 मामलों में आउटआफ टर्न पंजीकरण नंबरों के आबंटन के संबंध में ₹ 24.20 लाख की अतिरिक्त फीस वसूल करने में विफल रहा।
(अनुच्छेद 5.2.16)
- परिवहन वाहनों के रूप में छः व्यक्तियों से अधिक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए वाहनों का पंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप 35 मामलों में परमिट फीस के अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख के टोकन कर की कम वसूली हुई।
(अनुच्छेद 5.2.18)
- विभाग अन्य राज्यों से स्थानान्तरित 425 वाहनों के संबंध में नए रजिस्ट्रेशन मार्क न देने के कारण ₹ 9.07 लाख की राशि का पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स वसूल करने में विफल रहा।
(अनुच्छेद 5.2.19)

5.2.2 प्रस्तावना

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राइविंग लाइसेंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाइसेंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, हरियाणा राज्य में यथा लागू पी.एम.वी.टी. अधिनियम और पी.एम.वी.टी. नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। एम.वी. अधिनियम, राज्य सरकारों को दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंसों के निर्गम, सड़क परमिट, वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पथ करों के संग्रहण की जिम्मेवारी प्रदान करता है। मोटर वाहनों से प्रमुख प्राप्तियों में मोटर वाहनों पर कर, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड़ परमिट इत्यादि के निर्गम हेतु फीस शामिल है। गुडस कैरिज, स्टेज कैरिज, कांट्रैक्ट कैरिज, तथा प्राइवेट सेवा वाहनों के संबंध में रोड़ परमिट जारी किए जाते हैं।

परिवहन विभाग, हरियाणा के दो विंग अर्थात् परिचालनात्मक विंग तथा विनियामक विंग हैं। परिचालनात्मक विंग, हरियाणा परिवहन के परिचालन की देख-रेख करता है तथा राज्य के

भीतर एवं पड़ोसी राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों को अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विनियामक विंग, मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है तथा परिवहन एवं अन्य सड़क सुरक्षा मामलों इत्यादि के विनियमन हेतु उत्तरदायी है।

5.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, नीतियों, कार्यक्रमों के सूत्रपात तथा विभाग द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। विभागीय स्तर पर परिवहन आयुक्त (टी.सी.) सभी नीति मामलों और अधिनियमों एवं नियमों के प्रबंध से संव्यवहार करता है तथा उसकी सहायता के लिए दो अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त होते हैं जो मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर समग्र कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.एज) मुख्यतः परिवहन वाहनों के संबंध में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं। 21 जिला कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता सचिव, आर.टी.ए. द्वारा की जाती है, जो परिवहन वाहनों का पंजीकरण करते हैं तथा ऐसे वाहनों के संबंध में नियमित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं।

राज्य में 58 उप-मंडल अधिकारी {एस.डी.ओज (सिविल)} निजी प्रयोग (गैर-परिवहन) हेतु वाहनों का पंजीकरण करने तथा ऐसे वाहनों के संबंध में लर्नर/नियमित ड्राइविंग लाइसेंस तथा कंडक्टर लाइसेंस भी जारी करने हेतु पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। वाणिज्यिक वाहनों को परमिट जारी करने, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वाहनों के पंजीकरण, करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए आर.टी.ए. उत्तरदायी है। इनफोर्समेंट विंग मुख्यतः यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जिस वाहन के कर का भुगतान नहीं किया गया है, वह सड़क पर नहीं चलाया जा रहा है।

5.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के विचार से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की कि क्या:

- मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंसों का निर्गम, अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया था;
- करों का समय पर संग्रहण तथा खजानों/बैंकों में उनका प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी प्रणाली विद्यमान है; तथा
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग यंत्रावली विद्यमान थी तथा करों एवं फीसों का समयबद्ध निर्धारण एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

5.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

राज्य में परिवहन विभाग के 21 जिलों में से सात तथा परिवहन आयुक्त के कार्यालय में 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के मोटर वाहनों के पंजीकरण, विभिन्न लेखाओं पर फीस के संग्रहण तथा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित अभिलेखों की अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य नमूना-जांच की गई थी। हमने आकार (प्रतिस्थापन के बिना) पद्धति

से संबंधित आनुपातिक फार्मूला लागू कर रैंडम सैंपल चयन आधार पर चार जिला¹ कार्यालय, जोखिम विश्लेषण आधार पर फरीदाबाद एवं गुड़गांव जिला तथा अगस्त 2012 में एंटी कांफ्रेंस के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर मोहिन्दरगढ़ जिले का चयन किया। हमने 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए समान प्रकृति के बिंदु भी शामिल किए हैं।

5.2.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988, मोटर वाहन नियम, 1989;
- पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम);
- हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940;
- हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम, 1991;
- हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993;
- एम.वी. कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचनाएं एवं परिपत्र; तथा
- विभाग द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेश।

5.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक सूचना और अभिलेख प्रदान करने में दिए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमने एक एंटी कांफ्रेंस (अगस्त 2012) आयोजित की जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया जहां पर लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यप्रणाली और जिलों के चयन का वर्णन किया गया। जिलों का चयन तथा लेखापरीक्षा करते समय विभाग के सुझाव भी ध्यान में रखे गए। एक एग्जिट कांफ्रेंस प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (परिवहन विभाग) और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई (नवंबर 2013) जहां निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई। एग्जिट कांफ्रेंस और अन्य समयों के दौरान विभाग/सरकार के प्रस्तुत उत्तर और विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में सही ढंग से सम्मिलित किए गए।

5.2.8 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य में कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बजट अनुमान (बी.ई.ज) तथा वास्तविक प्राप्तियां तालिका 5.2 में दर्शाई गई है।

1 अंबाला, हिसार, पानीपत तथा सिरसा।

तालिका 5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी.जी.टी. के संग्रहण के बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+) / कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर / कर-भिन्न प्राप्तियां	कुल कर / कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	275.00	233.79	(-) 41.21	(-) 15	16,714.90	1
2008-09	275.00	239.30	(-) 35.70	(-) 13	14,893.73	2
2009-10	375.00	277.07	(-) 97.93	(-) 26	15,960.90	2
2010-11	350.00	457.36	(+) 107.36	(+) 31	20,211.31	2
2011-12	515.00	740.15	(+) 225.16	(+) 44	25,121.11	3

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2009-10 तक के वर्षों के दौरान बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों की 13 तथा 26 प्रतिशत के मध्य घटती प्रवृत्ति थी तथा उसके बाद 2010-11 तथा 2011-12 में 31 तथा 44 प्रतिशत के मध्य बढ़ती प्रवृत्ति थी। विभाग ने घटती प्रवृत्ति के लिए बाजार में मंदी तथा इनफोर्समेंट स्टाफ की तैनाती न करने तथा पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर लक्ष्य नियत करने के कारणों को जिम्मेवार ठहराया (जून 2013)। उत्तर तर्कसंगत प्रमाण पर आधारित नहीं था क्योंकि वाहनों के पंजीकरण की संख्या 2007-08 में 4,23,238 से बढ़कर 2009-10 में 4,68,265 हो गई। इसने इंगित किया कि बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे।

आडिट फाइंडिंग

5.2.9 संशोधित पेनल्टी दरों के कार्यान्वयन में विलंब

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 41 (11) में इसके साथ-साथ प्रावधान है कि यदि वाहन का मालिक वाहन के क्रय की तारीख से एक माह के भीतर अपने वाहन के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी (आर.ए.) के पास आवेदन करने में विफल रहता है तो अधिनियम के सैक्शन-177 के अंतर्गत अधिकतम ₹ 100 की पेनल्टी उद्गृहीत की जाएगी। आगे, विभाग ने अधिसूचित किया (12 जुलाई 2011) है कि यदि वाहन के क्रय से 21 दिनों के भीतर वाहन का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो एकमुश्त एकबारगी भुगतान योग्य कर के 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रतिदिन आधार पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी।

आर.टी.ए. के पांच कार्यालयों² तथा आर.ए. के सोलह कार्यालयों³ में वाहनों के पंजीकरण हेतु 650 एकबारगी कर भुगतान मामलों के आवेदन 21 दिनों के पश्चात् फाइल किए गए थे। इन मामलों में देय पेनल्टी आर.ए./आर.टी.ए. द्वारा नहीं लगाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12 फरवरी 2013 के निर्णय में स्पष्टीकरण दिया है कि पेनल्टी लगाना लाईसैंसिंग अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है। अतः लाईसैंसिंग अधिकारी कम पेनल्टी भी लगा सकता है। उत्तर सही नहीं था क्योंकि लाईसैंसिंग अधिकारियों ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई थी।

2 अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार तथा पानीपत।

3 अंबाला, बराड़ा, बल्लभगढ़, डबवाली, ऐलनाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव (दक्षिण), हांसी, हिसार, मोहिन्द्रगढ़, नारनौल, नारायणगढ़, पटौदी, पानीपत, समालखा तथा सिरसा।

5.2.10 वाहनों की ओवर लोडिंग पर पेनल्टी का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

एम.वी. अधिनियम का सैक्शन 194 प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति, जो एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 113 के अंतर्गत वाहनों के प्रमाण-पत्र/पंजीकरण में विनिर्दिष्ट भार/कुल वाहन भार से अधिक माल वाला मोटर वाहन चलाता है तो वह ₹ 2,000 के न्यूनतम जुर्माने का भुगतान करने तथा अतिरिक्त भार की आफ लोडिंग हेतु प्रभारों का भुगतान करने की देयता के साथ अतिरिक्त भार के लिए ₹ 1,000 प्रति टन की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

सचिव, आर.टी.ए. के पांच कार्यालयों⁴ तथा एस.टी.सी., हरियाणा के कार्यालय में 187 वाहन अनुमत्य भार से अधिक माल ढोते पाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.50 लाख की पेनल्टी के अनुदग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई। अंबाला के मामले में रजिस्टर उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 9.87 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 19.63 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं।

5.2.11 प्राइवेट/माल वाहनों से टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली

5.2.11.1 हरियाणा सरकार ने वाहनों के मूल्य के आधार पर 13 जनवरी 2011 से टोकन टैक्स की वृद्धि अधिसूचित की, जो तालिका 5.3 में दिए गए हैं।

तालिका 5.3

ए-मूल्य के दोपहिया की श्रेणी	वाहन के मूल्य पर टोकन टैक्स की दर (प्रतिशत में)	बी-मूल्य की कारों की श्रेणी	वाहन के मूल्य पर टोकन टैक्स की दर (प्रतिशत में)
₹ 60,000 तक	2	₹ 5 लाख तक	2
₹ 60,000 से अधिक तथा ₹ 4 लाख तक	4	₹ 5 लाख से अधिक तथा ₹ 10 लाख तक	4
₹ 4 लाख से अधिक	6	₹ 10 लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक	6
		₹ 20 लाख से अधिक	8

आर.ए. के छः कार्यालयों⁵ में 378 वाहन नई दरों की बजाए पुरानी दरों पर पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए ₹ 18.29 लाख के राजस्व की हानि हुई।

5.2.11.2 आगे, हरियाणा सरकार ने माल वाहनों के संबंध में इनके भार के आधार पर 18 जनवरी 2006 से वार्षिक टोकन टैक्स⁶ की नियत दर अधिसूचित की।

4 अंबाला, गुड़गांव, हिसार, नारनौल तथा पानीपत।

5 हिसार, मोहिन्द्रगढ़, नारनौल, पटौदी, समालखा तथा सिरसा।

सचिव, आर.टी.ए. के चार कार्यालयों⁶ में 191 माल वाहनों के संबंध में ₹ 16.95 लाख की राशि का टोकन टैक्स 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए वसूल नहीं किया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 1.10 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 34.14 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए थे।

5.2.12 सरकारी राजस्व को देरी से जमा करने पर ब्याज की हानि/देरी से जमा करवाना तथा डी.सी.आर./सी.टी.आर. रजिस्टर का सत्यापन/प्रमाणीकरण न करना

हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियम (पी.एफ.आर.) के नियम 2.2 तथा 2.7 द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने हेतु कि सभी धन संबंधी संपादन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैंशबुक में प्रविष्ट किए जाते हैं तथा उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। तत्रैव नियम 2.7 प्रावधान करता है कि कर्मचारी, जो कैंशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, द्वारा राशि उसी दिन अथवा अगले दिन प्रातः कोषालय/बैंक में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। नियम 2.2 (iii) के अंतर्गत कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भी, कैंशबुक में सभी प्रविष्टियों के योगों सहित सभी प्रविष्टियां सत्यापित की जानी अथवा इसे कैंशबुक लिखने वाले से अन्य किसी जिम्मेवार अधिकारी से करवायी जानी तथा सभी प्रविष्टियों को परिशुद्ध के रूप में आद्याक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

5.2.12.1 आर.ए., डबवाली, नारनौल तथा सिरसा के कार्यालयों के वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के डी.सी.आर./समेकित खजाना प्राप्ति रजिस्टर (सी.टी.आर.), रसीद बुकों तथा आर.सी. रजिस्ट्रों की दिसंबर 2012 में जांच ने दर्शाया कि आर.सी. फीस/टोकन टैक्स इत्यादि के कारण प्राप्त की गई ₹ 5.32 लाख (आर.ए. सिरसा: ₹ 4.57 लाख; आर.ए. डबवाली: ₹ 57,100 तथा आर.ए. नारनौल: ₹ 17,595) की राशि नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित खजानों में जमा नहीं करवाई गई थी। नारनौल के मामले में मुख्यालय से रसीद बुक जारी की गई थी जो डी.सी.आर. में दर्ज नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11,655 का कम परिकलन हुआ। आर.ए. डबवाली ने मार्च 2012 में ₹ 73,585 प्राप्त किए जिनमें से केवल ₹ 16,485 खजाने में जमा करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57,100 कम जमा करवाए गए।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 69,000 की राशि वसूल की गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं।

6 1.2 टन तक: ₹ 300; 1.2 टन से अधिक तथा 6 टन तक: ₹ 1,200; 6 टन से अधिक तथा 16.2 टन तक: ₹ 2,400; 16.2 टन से अधिक तथा 25 टन तक: ₹ 3,500 तथा 25 टन से अधिक: ₹ 4,500.

7 अंबाला, नारनौल, पानीपत तथा सिरसा।

5.2.12.2 आर.ए., बल्लभगढ़, नारनौल के कार्यालयों तथा सचिव, आर.टी.ए. अंबाला के कार्यालय के 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के डी.सी.आर. तथा सी.टी.आर. रजिस्ट्रों की जांच ने दर्शाया कि ₹ 17.22 लाख प्रतिदिन की अधिकतम राशि से आवेष्टित पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्सों के कारण दैनिक प्राप्तियां तीन से छः दिनों तक श्रृंखलित विलंब से जमा करवाई गई थी। तथापि, विलंबित जमा के कारण कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था। आगे, आर.ए. ऐलनाबाद, मोहिन्द्रगढ़ तथा सिरसा के कार्यालय में 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए हमने देखा कि दैनिक प्राप्तियां चार से 777 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलंब से जमा करवाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.40 लाख के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने नवंबर 2013 में आयोजित एग्जिट काफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि नियमानुसार राशि जमा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश जारी किए जाएंगे।

5.2.12.3 परिवहन आयुक्त, हरियाणा, सचिव, आर.टी.ए., अंबाला तथा आर.ए. (एम.वी.) फरीदाबाद के कार्यालयों में 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए जुलाई 2012 में डी.सी.आर. की जांच ने दर्शाया कि डी.सी.आर. सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था, न ही डी.सी.आर.ज के योगों की जांच कैशबुक के राईटर से अन्य कर्मचारी द्वारा की गई थी। आर.ए./आर.टी.ए.ज कोडल प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहे थे।

5.2.12.4 पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 2.2 (v) के अनुसार जब किसी सरकारी अधिकारी की अभिरक्षा में सरकारी धन खजाने या बैंक में जमा करवाया जाता है तो भुगतान करने वाले कार्यालय के प्रमुख को इसका सत्यापन करने से पहले कैशबुक में एंट्री के साथ चालान अथवा उसकी पासबुक पर खजाना अधिकारी के/बैंक की प्रति की तुलना करनी चाहिए तथा स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि राशियां प्रत्येक माह की 15 तारीख तक खजाने/बैंक में वास्तव में जमा करवा दी गई हैं। उसे पिछले माह के दौरान किए गए सभी प्रेषणों की समेकित प्राप्ति खजाने से प्राप्त करनी चाहिए जिसकी तुलना कैशबुक में पोस्टिंग से की जानी चाहिए।

आर.ए. फरीदाबाद, नारनौल तथा आर.टी.ए. फरीदाबाद के वर्ष 2011-12 के समेकित खजाना प्राप्ति रजिस्टर की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि सी.टी.आर. रजिस्ट्रों का संबंधित खजाना कार्यालयों द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था।

5.2.13 एम.वी. नियमों का अननुपालन

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 41 (1) तथा (2) के अनुसार पंजीकरण हेतु मोटर वाहन के मालिक द्वारा अथवा उसकी ओर से आवेदन ऐसे रूप में किया जाएगा तथा ऐसे दस्तावेजों, विवरणों तथा सूचना द्वारा समर्थित होगा तथा ऐसी फीस द्वारा समर्थित होगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे टी.सी., हरियाणा सरकार ने मार्च 2009 में सभी आर.ए.ज को निदेश जारी किए कि यदि किसी वाहन का मालिक टर्न के अनुसार अपने वाहन का पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले पंजीकरण नंबर आर्बाटित किया जाएगा तथा उसके बाद कथित पंजीकरण नंबर में दर्शाए गए इंजिन तथा चेसिस नंबरों पर आर.सी. फीस प्रभारित की जाएगी।

आर.ए. पानीपत के आर.सी. रजिस्टर, रसीद बुकों तथा संबंधित फाइलों की वर्ष 2011-12 के लिए फरवरी 2013 में जांच के दौरान हमने देखा कि 15 वाहनों में आर.सी. फीस तथा टोकन टैक्स की प्राप्ति पहले प्रभारित की गई थी तथा आउट आफ टर्न पसंदीदा नंबरों के लिए फाइल रोकी गई थी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबरों का आबंटन 39 से 99 दिनों तक श्रृंखलित बिलंब के पश्चात किया गया था। ऐसा करके वाहन मालिकों ने डीलिंग कर्मचारियों की सहमति से उनके अपने पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किए इसके परिणामस्वरूप वाहन के मालिक को पसंदीदा नंबर देने हेतु अतिरिक्त फीस के अप्रभारण के रूप में राज्य सरकार को न केवल हानि हुई अपितु आर.सी. मामलों के अंतिमकरण में बिलंब भी हुआ।

5.2.14 चिकित्सा प्रमाण-पत्र/लर्नर्ज लाईसेंस/जन्म प्रमाण-पत्र के प्रमाण के बिना ड्राइविंग लाईसेंस जारी करना

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 3 के अंतर्गत 23 जून 2006 को परिवहन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियमित ड्राइविंग लाईसेंस से पहले लर्नर्ज लाईसेंस जारी करना अनिवार्य है जो छः माह तक वैध है। लर्नर्ज लाईसेंस जारी करने के एक माह बाद नियमित ड्राइविंग लाईसेंस जारी किया जा सकता है। आगे, आर.ए. से अपेक्षित है कि वह आवेदक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

5.2.14.1 आर.ए. समालखा में 2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों के लिए लर्नर्ज लाईसेंस जारी किए बिना 15 नियमित लाईसेंस जारी किए गए थे।

5.2.14.2 आर.ए. (एम.वी.) के चार कार्यालयों⁸ में 2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों के लिए 90 ड्राइविंग लाईसेंस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना जारी किए गए थे।

5.2.14.3 आर.ए. फरीदाबाद में 2011-12 की अवधि हेतु आठ मामलों में जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.15 विनियामक नियंत्रणों का अननुपालन

स्कीम के प्रावधानों के अनुसार परमिटधारक परिवहन सरकारी समितियों से संबंधित प्राधिकारियों को समितियों द्वारा लगाए गए ड्राइवरों/कंडक्टरों के विवरण उनकी पहचान स्थापित करने के लिए उपयुक्त फोटोग्राफ सहित तथा फायर एक्सटिंग्यूशर्स एवं स्पीड गवर्नर्स इत्यादि सहित निर्धारित रिटर्न/सांख्यिकीय एवं अन्य सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार सक्ती से बसों के परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आर.टी.एज द्वारा सहकारी बसों की तिमाही भौतिक जांच भी अपेक्षित है।

8 बल्लभगढ़, फरीदाबाद, नारायणगढ़ तथा समालखा।

दस आर.टी.एज में 533 समिति बसों के लिए लगाए गए ड्राइवरो एवं कंडक्टरों, फायर सेफ्टी गैजेटस तथा स्पीड गवर्नरस के स्थापन से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखे गए थे। इसके अतिरिक्त संबंधित आर.टी.एज द्वारा बसों की तिमाही जांच नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.16 पंजीकरण नंबरों के आउट आफ टर्न आबंटन के कारण अतिरिक्त फीस की अवसूली

हरियाणा सरकार की दिनांक 27 नवंबर 2008 की अधिसूचना प्रावधान करती है कि स्पेशल नंबरों के आउट आफ टर्न आबंटन हेतु विकल्प चुनने वाला कोई व्यक्ति ₹ 10,000 की अतिरिक्त फीस का भुगतान करेगा।

पांच आर.एज⁹ तथा आर.टी.एज गुड़गांव तथा हिसार में वर्ष 2011-12 के लिए 242 मामलों में आउट आफ टर्न रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित किए गए थे किंतु इन वाहन मालिकों से कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 3.30 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 20.90 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.17 पसंदीदा पंजीकरण मार्क की छूट/गैर-सरकारी प्राधिकरणों के संबंध में पसंदीदा नंबर के आबंटन के कारण अतिरिक्त फीस की अवसूली

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 65 के अंतर्गत दिसंबर 2005 तथा नवंबर 2008 में संशोधित अधिसूचना तथा उसके अधीन बनाए गए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के अनुसार आर.ए. गैर-परिवहन¹⁰ वाहन के मालिक को निर्धारित अतिरिक्त फीस के भुगतान पर उसकी पसंद का पंजीकरण मार्क आबंटित करेगा। तथापि, यदि स्पेशल नंबर रजिस्ट्रेशन मार्क वाला मोटर वाहन किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हस्तांतरित किया जा रहा है तो वही निर्धारित अतिरिक्त फीस के भुगतान पर आर.ए. द्वारा अनुमत किया जाएगा।

5.2.17.1 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए 24 मामलों में मोटर वाहनों को अतिरिक्त फीस प्रभारित किए बिना पसंदीदा पंजीकरण मार्क आबंटित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 14.25 लाख की अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

9 बरवाला, गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, मोहिन्द्रगढ़ तथा पानीपत।

10 गैर-परिवहन वाहन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के नाम में पंजीकृत तथा उसके द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए पूर्णतया उपयोग किए जाने के लिए घोषित प्राइवेट सेवा वाहन से है।

5.2.17.2 आर.एज (एम.वीज) के पांच कार्यालयों¹¹ तथा सचिव, आर.टी.एज के हिसार, नारनौल तथा सिरसा कार्यालयों में 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए पसंदीदा पंजीकरण मार्क वाले 29 मोटर वाहन अतिरिक्त फीस प्रभारित किए बिना 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम में हस्तांतरित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 4.70 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एगिजट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 70,000 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 18.25 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.18 टोकन टैक्स की कम वसूली

परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने मई 2000 में अनुदेश जारी किए कि ड्राइवर के अलावा छः यात्रियों से अधिक को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए वाहनों को कंपनी/फर्म के नाम में परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा परमिट फीस प्रभारित करने के अतिरिक्त ₹ 400 प्रति सीट प्रति वर्ष की दर पर रोड़ टैक्स का भुगतान किया जाएगा।

सचिव, आर.टी.ए. के चार कार्यालयों¹² में 2010-11 तथा 2011-12 तक के वर्षों के लिए छः व्यक्तियों से अधिक सीटिंग क्षमता वाले 35 प्राइवेट सेवा (गैर-परिवहन) वाहन कंपनियों/फर्मों के नाम में पंजीकृत किए गए थे तथा ₹ 400 प्रति सीट प्रति वर्ष की दर पर ₹ 15.54 लाख प्रभारित करने की बजाय ₹ 4.86 लाख की राशि का एकमुश्त/एकबारगी टोकन टैक्स अनियमित रूप से आर.एज (एम.वीज) द्वारा प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप परमिट फीस के अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख के टोकन टैक्स की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एगिजट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 33,000 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 10.35 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.19 अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों को नए पंजीकरण नंबर प्रदान न करना

एम.वी. अधिनियम के नियम 47 तथा परिवहन विभाग की जुलाई 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत यदि एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन बारह माह से अधिक अवधि के लिए किसी अन्य राज्य में रखा जाता है तो वाहन का मालिक ऐसी अवधि के भीतर उस आर.ए. के पास आवेदन करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में नए पंजीकरण नंबर की प्रदानगी के लिए वाहन था तथा उस आर.ए. को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

11 हिसार, मोहिन्द्रगढ़, नारायणगढ़, नारनौल तथा पानीपत।

12 अंबाला, हिसार, नारनौल तथा सिरसा।

आर.ए. के आठ कार्यालयों¹³ में 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए 425 वाहन अन्य राज्यों से हरियाणा में हस्तांतरित किए गए थे तथा इन वाहनों को एक से पांच वर्षों तक श्रृंखलित अवधि के लिए नए पंजीकरण मार्क प्रदान नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 9.07 लाख की पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स की वसूली नहीं हुई।

5.2.20 लर्नर्स लाईसेंस की समाप्ति के पश्चात् ड्राइविंग लाईसेंस जारी करना तथा निर्धारित समय से परे ड्राइविंग लाईसेंसों का नवीकरण

एम.वी. अधिनियम के सैक्शन 14 (1) के अंतर्गत प्रावधान है कि लर्नर्स लाईसेंस छः माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा। समाप्त लर्नर्स लाईसेंस पर नियमित ड्राइविंग लाईसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए नया लर्नर्स लाईसेंस जारी किया जाएगा। जून 2006 में एस.टी.सी. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ड्राइविंग लाईसेंस पहली बार 20 वर्षों के लिए या 50 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद लाईसेंस का नवीकरण पांच वर्षों की अवधि हेतु किया जाएगा।

5.2.20.1 आर.ए. (एम.वी.) फरीदाबाद तथा समालखा के कार्यालयों में 26 मामलों में ड्राइविंग लाईसेंस जारी किए गए थे यद्यपि उनके तदनुसूची लर्नर्स लाईसेंस पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसने एम.वी. अधिनियम के प्रावधानों की अननुपालना इंगित की।

5.2.20.2 आर.ए. (एम.वी.) फरीदाबाद के कार्यालय में 77 ड्राइविंग लाईसेंस आठ से 20 वर्षों तक श्रृंखलित अवधियों के लिए नवीकृत किए गए थे।

ये मामले इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 5.21 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा आश्वासन दिया कि ₹ 57.69 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5.2.21 आंतरिक नियंत्रण

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को आश्वास्त करने का एक साधन है कि निर्धारित प्रणालियां अच्छे से कार्य कर रही हैं। विभाग ने जून 2013 में बताया कि उनके पास मुख्यालय पर एक लेखा अधिकारी तथा तीन अनुभाग अधिकारी (6 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध) थे जो मोटर वाहनों पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा करते हैं।

मोटर वाहनों पर करों की प्राप्तियों की जांच के लिए विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि को संहिताबद्ध नहीं किया।

(ii) विभाग ने करों के संग्रहण एवं चालानों के निपटान के संबंध में स्टेटमेंटें/रिटर्न निर्धारित की जो फील्ड कार्यालयों द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मुख्यालय कार्यालय को भेजी जानी अपेक्षित थी।

13 ऐलनाबाद, हांसी, हिसार, मोहिंद्रगढ़, नारायणगढ़, पानीपत, समालखा तथा सिरसा।

वर्ष 2012 - 13 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि फील्ड कार्यालयों ने परिवहन आयुक्त को नियमित रूप से मासिक रिटर्न भेजी। ये रिटर्न केवल संकलित की गई थी किंतु राजस्व वृद्धि के लिए करों के संग्रहण में सुधार एवं चालानों के शीघ्र निपटान पर 2007 - 12 के दौरान फील्ड कार्यालयों को आगे कोई अनुदेश/निदेश जारी नहीं किए गए थे। निष्पादन की समीक्षा के लिए अलग से कोई बैठक नहीं की गई थी। इस प्रकार, विभाग स्तर पर आंतरिक जांच एवं मानीटरिंग अपर्याप्त थी।

5.2.22 निष्कर्ष

‘मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने कई प्रणाली एवं अनुपालना कमियां दर्शाईं। विभाग मानीटरिंग यंत्रावली की कमी के कारण कर संग्रहण करने में विफल रहा। परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा फील्ड में आर.एज/आर.टी.एज के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप देरी से पंजीकरण के कारण पेनल्टी की वसूली नहीं हुई। मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तथा समेकित खजाना प्राप्तियों के रिकार्ड की मानीटरिंग की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। सहकारी बसें परमितों के नवीकरण के बिना तथा करों के भुगतान के बिना सड़कों पर चल रहीं थी। विभाग ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण फीस एवं टोकन टैक्स के संबंध में केश रसीदों के निर्गम के काफी समय बाद पंजीकरण मार्कों की प्रदानगी तथा टोकन टैक्स की कम प्राप्ति थी। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले में, कई मामलों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने, लर्निंग लाइसेंसों की समाप्ति के पश्चात् भी तथा लर्नर्स लाइसेंस जारी किए बिना नियमित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले देखे गए थे।

5.2.23 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित सुझावों के कार्यान्वयन हेतु विचार कर सकती है:

- बी.ई.जं वास्तविक होने चाहिए;
- कार्यालय अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तियों का गबन रोकने के लिए सभी प्राप्तियां वास्तव में खजाने में जमा करवाई जाती हैं;
- आर.एज/आर.टी.एज के साथ परिवहन आयुक्त के समन्वय में सुधार करने की आवश्यकता है; तथा
- यदि अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों को बारह माह की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं करवाया जाता है तो पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए।

उपर्युक्त बिंदु सरकार के ध्यान में लाए गए थे (सितंबर 2013) तथा एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी। सरकार द्वारा दिए गए उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए थे।

5.3 सहकारी परिवहन समितियों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

5.3.1 यात्री सड़क परिवहन के निजीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य के लिंक रूटों पर बस चलाने वाले परमिट धारकों को 52/54 सीटों वाली बस हेतु ₹ 12,000 और 30 सीटों वाली बस के लिए ₹ 6,000 की मासिक दर पर एकमुश्त यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। चूक के मामले में अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम ₹ 5,000 का जुर्माना उद्ग्राह्य है।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के नौ कार्यालयों¹⁴ में 503 सहकारी परिवहन समितियों में से 144¹⁵ ने 2007-08 से 2012-13 तक के वर्षों के दौरान ₹ 2.02 करोड़ की राशि का मासिक यात्री कर पूर्ण रूप से या भाग में जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्त्ता समितियों से कर वसूल करने के लिए मांग प्रस्तुत नहीं की थी।

5.3.2 सहकारी परिवहन समितियों को यात्री कर की अदेय/अनियमित छूट

“प्राइवेट बस सर्विस स्कीम-1993 तथा 2001” के प्रावधानों के साथ पठित (पी.पी.जी.टी.) नियमों के नियम 9 के उप-नियम 2 डी (iii) तथा हरियाणा यात्री परिवहन स्कीम, 2003 के अनुसार कि मालिक के नियंत्रण से परे कारणों के लिए 15 दिनों की नियमित अवधि से अधिक बस के अपरिचालन के मामले में तथा जहां परमिट जमा करवाया गया है, यात्री कर के भुगतान में प्रोराटा रिलीफ दिया जाएगा किंतु किसी लागू नियम के अंतर्गत बस के जब्त होने की दशा में उस अवधि के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे, स्कीम 2001 की धारा 14 तथा 15 प्रावधान करती है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मरम्मत प्रयोजनों के लिए बस को निर्धारित रूट से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी कारणवश बस दो दिन से अधिक नहीं चलती है तो समिति के लिए किसी दूसरी बस का इंतजाम करना अनिवार्य होगा तथा उन मामलों को छोड़कर, जब बस वास्तविक मार्ग पर बाढ़ का पानी आने या उस रूट पर वाहन न चलाने के जिला प्रशासन के आदेश के कारण, बस चलाना संभव नहीं है, ऐसी अवधियों के लिए यात्री कर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कीम 2003 की धारा 14 के अनुसार ब्रेकडाउन/दुर्घटना के कारण रूट से बाहर रखी गई कोई बस यदि 30 दिनों के भीतर रूट पर वापस नहीं लगाई जाती है तो परमिट रद्द किए जाने के लिए दायी होगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण के बाद अन्य पात्र सहकारी समितियों को आर्बिट्रिट कर दिया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के पांच कार्यालयों¹⁶ में 18 सहकारी परिवहन समितियों ने अलाभकारी रूट, समितियों के आपसी विवादों, बसों की मरम्मत/बदलाव इत्यादि जैसे कारणों, जो स्कीम के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं थे, से सात से 63 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि के लिए उनकी बसें आर्बिट्रिट लिंक रूट से बाहर रखीं। संबंधित रूटों पर कोई वैकल्पिक बसें नहीं लगाई गई थी। डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) ने उर्पुक्त कथित कारणों की जांच नहीं की तथा ₹ 54.14 लाख की राशि के यात्री कर की अदेय छूट अनुमत की।

14 भिवानी, फतेहाबाद, जींद, करनाल, कैथल, नारनौल, पलवल, रोहतक तथा सिरसा।

15 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.): भिवानी: 14; फतेहाबाद: 31; जींद: 20; करनाल: 6; कैथल: 21; नारनौल: 2; पलवल: 7; रोहतक: 13 तथा सिरसा: 30.

16 फतेहाबाद, जींद, कैथल, रोहतक तथा सिरसा।

5.3.3 अपंजीकृत बसें चला रही सहकारी परिवहन समितियां


पंजाब पी.पी.जी.टी. अधिनियम का सैक्शन-8 प्रावधान करता है कि मोटर वाहन का कोई मालिक तब तक हरियाणा राज्य क्षेत्र से यात्री अथवा माल नहीं ले जाएगा जब तक वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करता। आगे, अधिनियम का सैक्शन-9 (4) प्रावधान करता है कि यदि निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई मालिक अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कर भुगतान करने के लिए दायी है किंतु वह पंजीकरण आवेदन करने अथवा कर का भुगतान करने में जानबूझ कर विफल हुआ है अथवा जहां ऐसे प्राधिकारी को इस बात का विश्वास है कि देय कर का भुगतान ठीक ढंग से नहीं किया गया है तो उपर्युक्त प्राधिकारी मालिक को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देते हुए कर की राशि का निर्धारण, यदि मालिक से कोई देय है, करेगा तथा मालिक को ऐसे निर्धारित कर की अधिकतम पांच गुणा राशि का पेनल्टी के जरिये भुगतान करने का निर्देश भी देगा।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), भिवानी के कार्यालय में तीन सहकारी परिवहन समितियों को आर.टी.ए. भिवानी के कार्यालय द्वारा लिंक रूटों पर बसें चलाने के लिए परमिट अनुमत किए गए थे। किंतु ये बसें पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी। इन बसों का पंजीकरण करने के लिए न तो कोई कार्रवाई आरंभ की गई थी और न ही संबंधित सहकारी समितियों की ओर देय कर का कोई निर्धारण डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) द्वारा किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.20 लाख की राशि के राजस्व की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 88.45 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 1.67 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

अध्याय – 6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां



ॐ - ॐ - ॐ

ॐ - ॐ - ॐ - ॐ - ॐ - ॐ - ॐ - ॐ - ॐ - ॐ

अध्याय 6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 में आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क), विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान, उद्योग तथा भू-राजस्व विभाग में अभिलेखों की नमूना-जांच ने 333 मामलों में ₹ 1.04 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट की जो तालिका 6.1 की श्रेणियों में उल्लिखित है।

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क)			
1.	मनोरंजन शुल्क की अवसूली	1	0.02
ख: विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क)			
1.	विविध अनियमितताएं	56	0.04
ग: खदान एवं भू-विज्ञान तथा उद्योग			
1.	सविदा धन के विलम्बित निक्षेप पर ब्याज की अवसूली	61	0.68
2.	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली	95	0.23
घ: भू-राजस्व			
1.	भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों की वसूली	01	शून्य
2.	विविध अनियमितताएं	119	0.07
कुल योग		333	1.04

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 171 मामलों में आवेष्टित ₹ 65.08 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 168 मामलों में आवेष्टित ₹ 21.95 लाख 2012-13 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 2012-13 के दौरान 32 मामलों में ₹ 47.79 लाख वसूल किए जिनमें से 29 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.48 लाख वर्ष 2012-13 और शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

कुछ व्याख्यात्मक मामले निम्नलिखित अनुच्छेद में उल्लिखित हैं।

आडिट फाइंडिंग

6.2 भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों की वसूली

6.2.1 प्रस्तावना

सरकार के विभाग प्राथमिक रूप से उनसे संबंधित देयों की वसूली के लिए उत्तरदायी हैं। यदि सभी संभव उपायों के बाद भी विभागों द्वारा सरकारी देयों की वसूली नहीं की जा सकती हो तो ऐसे देयों को हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (पी.एल.आर. एक्ट) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। पी.एल.आर. एक्ट की धारा 62 के अनुसार भू-राजस्व का बकाया किरायों, लाभों तथा भूमि के उत्पाद पर प्रथम प्रभार है। पी.एल.आर. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत भू-राजस्व का बकाया एक या अधिक प्रक्रियाओं अर्थात्; (i) चूककर्ता पर मांग की रिट दायर करके; (ii) व्यक्ति को गिरफ्तार तथा कैद करके; (iii) उसकी चल संपत्ति तथा खड़ी फसलों की कुर्की बिक्री; संपत्ति, जिसके संबंध में बकाया देय है, के हस्तांतरण; संपदा या संपत्ति, जिसके संबंध में बकाया देय है, की कुर्की; संपदा या संपत्ति के निर्धारण के निराकरण; उस संपदा या संपत्ति की बिक्री द्वारा तथा चूककर्ता की अन्य अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाहियों के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (आर.आर.एक्ट) के अंतर्गत जहां जिले से अन्य जिले, जिसमें बकाया प्रोद्भूत हुआ, में संपत्ति वाले चूककर्ता से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय राशि है, संबंधित कलैक्टर उस जिले के कलैक्टर को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) भेज सकता है जहां चूककर्ता की संपत्ति स्थित है, राशि वसूल करने के लिए क्योंकि यदि यह उसके अपने जिले में प्रोद्भूत भू-राजस्व का बकाया थी। अन्य जिले का कलैक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कथित राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

6.2.2 बकायों की स्थिति

सात जिलों के राजस्व विभाग के पास उपलब्ध विवरणों के अनुसार भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय ₹ 102.36 करोड़ की राशि से आवेष्टित 2,044 मामले 30 सितंबर 2012 को लंबित थे। 2011-12 को समाप्त गत पांच वर्षों (1 अक्टूबर 2007 से 30 सितंबर 2012 तक) के दौरान वसूलनीय मांग, वसूली के बिना लौटाए गए मामलों, की गई वसूली तथा शेष की वर्षवार स्थिति तालिका 6.2 में दी गई है।

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभ शेष	नई मांग	कुल मांग	वसूली के बिना लौटाए गए मामले	वसूली गई राशि	शेष	वसूली की प्रतिशतता (5 से 3)	लौटाए गए मामलों की प्रतिशतता (4 से 3)
	राशि / मामले	राशि / मामले	राशि / मामले	राशि / मामले	राशि / मामले	राशि / मामले		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	47.64 (1,921)	103.37 (1,582)	151.01 (3,503)	100.01 (1,050)	4.85 (536)	46.15 (1,917)	3.21	66.23
2008-09	46.15 (1,917)	152.30 (1,600)	198.45 (3,517)	121.08 (894)	6.52 (550)	70.85 (2,073)	3.28	61.00
2009-10	70.85 (2,073)	63.29 (1,386)	134.14 (3,459)	71.78 (831)	10.69 (636)	51.67 (1,992)	7.97	53.51
2010-11	51.67 (1,992)	142.43 (1,487)	194.10 (3,479)	129.80 (979)	10.11 (695)	54.19 (1,805)	5.21	66.87
2011-12	54.19 (1,805)	163.65 (1,651)	217.84 (3,456)	104.18 (821)	11.30 (591)	102.36 (2,044)	5.19	47.82

(मामलों की संख्या कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मांग की वसूली की प्रतिशतता पांच वर्षों के दौरान 3.21 तथा 7.97 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित पूर्णतया कम थी। चूककर्ताओं के पते के विवरणों/अन्य विवरणों के अभाव में वसूली के बिना मांगकर्ता अधिकारियों को कलैक्टरों द्वारा लौटाए गए मामलों की प्रतिशतता 47.82 तथा 66.87 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। राजस्व विभाग ने लंबित मामलों के भारी संचयन करने वाले प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र मामलों के निपटान हेतु कोई मानक नियत नहीं किए।

6.2.3 राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों (आर.आर.सी.) का अपरिकलन/विलंबित परिकलन

जिला राजस्व अधिकारी (डी.आर.ओ.) गुडगांव तथा फरीदाबाद के कार्यालय के रनिंग रजिस्टर- II के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि डी.आर.ओ. गुडगांव तथा फरीदाबाद ने पांच वर्षों के दौरान तहसीलदार, गुडगांव तथा फरीदाबाद को ₹ 90.11 करोड़ की राशि के 384 मामले हस्तांतरित किए किंतु संबंधित तहसीलदारों ने अपने आर.आर.- II रजिस्ट्रों में इन आर.आर.सी. को दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.11 करोड़ की वसूली नहीं हुई। तहसीलदार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ के मई 2013 में आर.आर.- II की नमूना-जांच ने दर्शाया कि ₹ 9.53 करोड़ की राशि के 67 मामले 8 से 88 माह के मध्य श्रृंखलित विलंब के साथ तहसीलों के आर.आर.- II रजिस्ट्रों में दर्ज किए गए थे।

तहसीलदार, फरीदाबाद तथा गुडगांव ने उत्तर दिया कि सभी मामले आर.आर.- II में दर्ज कर लिए गए थे तथा संबंधित कलेक्टरों ने भी तथ्यों की पुष्टि कर दी किंतु भू-राजस्व के बकायों की वसूली हेतु आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। यह दर्शाता है कि विभाग भू-राजस्व के बकायों की वसूली करने की कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहा। हमें वसूली की अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (जून 2013)।

6.2.4 नॉन-फोलो अप/विलंबित कार्रवाई

1 अक्टूबर 2007 से 30 सितंबर 2012 तक की अवधियों के लिए आर.आर.सी. के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 8 से 43 माह के मध्य श्रृंखलित अवधियों की समाप्ति के बाद भी तहसीलदारों द्वारा मडलौडा (पानीपत जिला), फरीदाबाद तहसीलों में ₹ 54.28 लाख (अनुलग्नक VI) की राशि वाले 35 मामलों में पहला नोटिस तक जारी नहीं किए गए थे तथा सात तहसीलों¹ में यद्यपि नोटिस जारी किए गए थे किंतु ₹ 9.52 करोड़ (अनुलग्नक VII) की राशि के 87 मामलों में चार से 249 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि की समाप्ति के बाद भी भेजे नहीं गए थे तथा तीन तहसीलों में ₹ 1.80 करोड़ (अनुलग्नक VIII) की राशि के 51 मामलों में यद्यपि चूककर्ताओं को नोटिस भेजे गए थे किंतु पी.एल.आर. एक्ट की धारा 67 के अनुसार आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

6.2.5 अन्य कलैक्टरों को भेजी गई आर.आर.सी. के अनुसरण की विफलता

अभिलेखों के अनुसार ₹ 69.25 करोड़ की राशि से आवेष्टित 1,345 मामलों में वसूलियाँ जिला/राज्य से बाहर संपत्तियों वाले चूककर्ताओं के विरुद्ध 30 सितंबर 2012 को लंबित थी। ऐसे मामलों में प्रभावी वसूली के लिए राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत आर.आर.सी. संबंधित जिला/राज्यों, जहां चूककर्ताओं की संपत्तियाँ थी, के जिला कलैक्टरों को भेजे गए थे।

1 गुडगांव, फारूखनगर (गुडगांव), पटौदी (गुडगांव), समालखा (पानीपत), मडलौडा (पानीपत), फरीदाबाद तथा रेवाड़ी।

6.2.6 आंतरिक लेखापरीक्षा न करना

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को आश्वस्त करने का साधन है कि निर्धारित प्रणालियां ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा सात जिलों अर्थात् अंबाला, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, जींद तथा हिसार के कलैक्टरों एवं तहसीलदारों के कार्यालय के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि “भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों” की पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा एफ.सी.आर. के कार्यालय द्वारा संचालित नहीं की जा रही थी। राजस्व संग्रहीत मुख्य शीर्ष 0029 - भू-राजस्व की लेखापरीक्षा संचालित करते समय केवल आर.आर. - II पर टिप्पणियां प्रस्तुत की जा रही थी।

6.2.7 अपर्याप्त मानीटरिंग

- अपर मुख्य सचिव के कार्यालय के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि भू-राजस्व के बकायों से संबंधित निर्धारित मासिक रिटर्न राज्य में कलैक्टरों के कार्यालयों से समय पर प्राप्त की जा रही थी किंतु मानीटरिंग हेतु स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरंभिक शेष, नई मांग, कुल मांगों, वसूली के बिना लौटाए गए मामलों, की गई वसूली तथा अंत शेष की वर्षवार तथा जिलावार स्थिति उस कार्यालय द्वारा तैयार नहीं की गई थी।
- तहसीलदारों (हिसार को छोड़कर) के साथ डी.सी.जी द्वारा वसूली की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोई नियमित मासिक बैठकें 1 अक्टूबर 2007 से 30 सितंबर 2012 तक की अवधि के दौरान आयोजित नहीं की गई थी। कलैक्टर, अंबाला ने बताया कि बैठक की कोई निर्धारित आवश्यकता नहीं है। कलैक्टर, रेवाड़ी ने बताया कि नियमित मासिक बैठकों के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा बकाया राशि की समीक्षा भी की जाएगी।

- यह स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर आंतरिक जांच एवं मानीटरिंग पर्याप्त नहीं थी। ये बिंदु सरकार के ध्यान में लाए गए थे (अगस्त 2013), एगिजट काफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2013) तथा बताया कि भू-राजस्व के बकाया, बकायों की तीव्र वसूली के लिए एस.आर.ज के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने के निष्कपट प्रयास करने के लिए संबंधित कलैक्टरों को अनुदेश जारी किए जाएंगे तथा यह आशवासन भी दिया कि भविष्य में विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा की जाएगी।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

पंजाब लघु खनिज रियायत (हरियाणा संशोधन) नियम, 2005 का नियम 24 प्रावधान करता है कि ईट भट्ठा मालिक (बी.के.ओ.ज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने जून 2005 से बी.के.ओ.ज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की। चूक के मामले में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर चूक की अवधि हेतु ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओ.ज रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओ.ज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किये जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और इस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है।

सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ई.ज.)/खनन अधिकारी (एम.ओ.ज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओ.ज/ए.एम.ई.ज के सात कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 69 बी.के.ओ.ज, जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 2008 तथा अप्रैल 2010 के मध्य परमिट जारी किये गये थे, ने रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। बी.के.ओ.ज को संबंधित वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक रायल्टी का भुगतान करना अपेक्षित था। यद्यपि मार्च 2013 तक 12 से 36 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, अभी तक ₹ 10.14 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओ.ज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही ए.एम.ई.ज/एम.ओ.ज द्वारा इसकी मांग की गई थी। परमिटों को कैंसिल करने तथा/या भू-राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 14.88 लाख (₹ 4.74 लाख की राशि के ब्याज सहित) के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमने जुलाई 2013 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया। सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (अक्टूबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि अक्टूबर 2010 तथा सितंबर 2013 के मध्य 57 मामलों में ₹ 11.96 लाख (₹ 3.62 लाख के ब्याज सहित) की राशि वसूल कर ली गई थी तथा 12 मामलों में ₹ 2.92 लाख (₹ 1.12 लाख के ब्याज सहित) की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

ओंकार नाथ

चण्डीगढ़

दिनांक: 19 फरवरी 2014

(ओंकार नाथ)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांक: 21 फरवरी 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

- 2 एम.ओ.ज: भिवानी, जींद, नारनौल, रेवाड़ी तथा पानीपत; ए.एम.ई.ज: फरीदाबाद तथा पंचकुला।
3 मार्च 2013 तक परिकलित ब्याज।

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

परिशिष्ट

50

अनुलग्नक-I
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/
जिनके 30 सितम्बर 2013 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	13	12	12	9	46
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	9	9
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	0	2	3	1	6
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	2	1	3
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	0	1	6	6	13
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	1	6	6	13
राज्य उत्पाद शुल्क/पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	2	1	3	10
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	3	3
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	4	1	1	7
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	1	1	2
योग	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	18	21	23	20	82
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों के कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	0	1	9	20	30

अनुलग्नक-II
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.5)

लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है

क्र. सं.	लो.ले.स. रिपोर्ट संख्या	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि
1.	22	3	1979-80
2.	23	4	1980-81
3.	25	4	1981-82
4.	26	3	1982-83
5.	28	2	1983-84
6.	29	8	1984-85
7.	32	4	1985-86
8.	34	12	1986-87
9.	36	6	1987-88
10.	38	11	1988-89
11.	40	23	1989-90
12.	42	31	1990-91, 1991-92, 1992-93
13.	44	41	1990-91, 1991-92, 1992-93
14.	46	9	1993-94
15.	48	10	1993-94, 1994-95
16.	50	41	1993-94, 1994-95, 1995-96
17.	52	31	1996-97
18.	54	43	1997-98
19.	58	64	1998-99, 1999-2000
20.	60	38	2000-01
21.	62	46	2001-02
22.	63	48	2002-03
23.	64	52	2003-04
24.	65	51	2004-05
25.	67	52	2005-06
26.	68	103	2006-07, 2007-08
योग		740	

अनुलग्नक-III
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.9.1)

31 मार्च 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

वर्ष	बकाया नि.प्र. की संख्या	अनुच्छेद	राशि (₹ करोड़ में)
2002-03 तक	08	09	3.72
2003-04	02	03	8.78
2004-05	01	01	2.00
2005-06	06	07	7.20
2006-07	10	15	10.76
योग	27	35	32.46
2007-08	12	18	3.14
2008-09	10	14	1.00
2009-10	13	24	7.86
2010-11	22	55	9.49
2011-12	15	25	8.74
कुल योग	99	171	62.69

अनुलग्नक-IV

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.9.2.2)

वर्ष 2003-04 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल समीक्षाओं तथा सिफारिशों के विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	की गई सिफारिशों के विवरण
2005-06	राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	<p>उत्पाद शुल्कों/फीसों इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में आबकारी विभाग के कार्यचालन पर नियंत्रण लागू करने तथा बचाव के रास्ते बंद करने के लिए सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ चूकर्ताओं से तीव्र वसूली के उद्देश्य से लंबी प्रक्रियाओं में संशोधन तथा इसके राजस्व संग्रहण प्रशासन को सुदृढ़ करना; ➤ फील्ड कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक रिटर्नों में विसंगतियों का पता लगाने के दृष्टिकोण से एक दृढ़ आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली का विकास करना तथा सुनिश्चित करना कि देयों की वसूली की प्रक्रिया सुदृढ़ तथा शीर्ष स्तर पर मानीटर की जाती है; तथा ➤ शराब के अवैध व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए निवारक शास्ति लगाकर अधिनियमों/नियमों के शास्ति प्रावधानों का कार्यान्वयन करना।
2010-11	राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	<p>रन्धों को बंद करने तथा आबकारी शुल्क/फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में आबकारी विभाग के कार्यचालन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से सरकार कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित सुझावों पर विचार कर सकती है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अनाज से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन हेतु मानक नियत करने के लिए अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जाए; ➤ शराब के अवैध व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए निवारक शास्ति लगाकर अधिनियमों/नियमों के दण्ड प्रावधानों को लागू किया जाए; ➤ प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति को देर से जमा करने/जमा न करने के लिए दण्ड प्रावधानों को आरंभ किया जाए; ➤ डिस्टीलरियों द्वारा सी.एल. की आपूर्ति हेतु पैट बोतलों की बजाए कांच की बोतलों के शत-प्रतिशत उपयोग हेतु प्रावधान शुरू किए जाएं क्योंकि पैट बोतलें इको-फ्रेंडली नहीं हैं; ➤ कठोर दण्ड सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए प्रावधान शुरू किए जाएं ताकि शराब में मिलावट करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके; तथा ➤ आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुदृढ़ किया जाए तथा अधिक प्रभावी बनाया जाए।

अनुलग्नक-V
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.10)
वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा योजना

क्र. सं.	प्राप्तियों की प्रकृति	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की कुल संख्या	वा. - वार्षिक अ. - अर्धवार्षिक त्रै. - त्रैवार्षिक च. - चतुर्वार्षिक				वर्ष 2012-13 के लिए नियोजित इकाइयों की संख्या				2012-13 के दौरान नियोजित एवं परीक्षित कुल इकाइयां
			वा.	अ.	त्रै.	च.	वा.	अ.	त्रै.	च.	
1.	0039- राज्य आबकारी	39	21	18	-	-	21	02	0	0	23
2.	0030- स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	119	59	60	-	-	58	30	0	0	88
3.	0041- वाहनों पर कर	75	21	54	-	-	21	31	0	0	52
4.	0042- यात्री एवं माल कर	23	23	-	-	-	23	0	0	0	23
5.	0853-खदान एवं खनिज	16	8	8	-	-	08	04	0	0	12
6.	0040- बिक्री कर	61	33	-	-	28	33	0	0	7	40
7.	0043- विद्युत शुल्क	4	1	-	-	3	0	0	0	01	01
8.	0045- मनोरंजन	23	-	-	-	23	-	-	-	-	-
9.	0029- भू- राजस्व	119	-	-	-	119	0	0	0	23	23
10.	0039- फार्मिसे	18	-	-	-	18	0	0	0	03	03
	योग	497	166	140	-	191	164	67	0	34	265

अनुलग्नक VI
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 6.2.7)

ऐसे मामले, जिनमें पहला नोटिस भी जारी नहीं किया गया था

क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	31 मार्च 2013 को विलंब (महीनों में)
1	मडलौडा (पानीपत)	25	3.29	9-43
2	फरीदाबाद	10	50.99	8-18
	योग	35	54.28	16-80

अनुलग्नक VII
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 6.2.7)

ऐसे मामले, जिनमें नोटिस जारी किए गए किंतु दिए नहीं गए


क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2013 को विलंब (महीनों में)
1	गुड़गांव	37	1.11	9-249
2	फारूख नगर (गुड़गांव)	6	0.07	10-78
3	पटौदी (गुड़गांव)	8	0.04	16-72
4	समालखा (पानीपत)	7	0.01	5-13
5	मडलौडा (पानीपत)	14	0.52	13
6	फरीदाबाद	6	7.74	11-30
7	रेवाड़ी	9	0.03	4-15
	योग	87	9.52	

अनुलग्नक VIII
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 6.2.7)

ऐसे मामले, जिनमें चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे किंतु राशि वसूल करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी

क्र.सं.	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2013 को विलंब (वर्षों में)
1	गुड़गांव	35	1.72	1-18
2	फरीदाबाद	1	0.00 (21,300)	1-4
3	रेवाड़ी	15	0.08	16 से 80 माह
	योग	51	1.80	

शब्दावली



संकेताक्षरों की शब्दावली

कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
ए.ए.	निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
बी.ई.	बजट अनुमान
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.बी.एम.बी.	भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड
बी.के.ओ	ईट भट्ठा मालिक
देश.	देशी शराब
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
सी.टी.आर.	समेकित प्राप्ति रजिस्टर
डी.ई.टी.सी.	उप - आबकारी एवं कराधान आयुक्त
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रहण रजिस्टर
डी.सी.	उपायुक्त
डी.डी.ओ.	आहरण एवं सवितरण अधिकारी
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
भा.स.	भारत सरकार
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.टी.ओ.	सकल आवर्त
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
एच.जी.एस.टी. एक्ट	हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा पावर जनरेशन निगम लिमिटेड
एच.एल.एल. नियम	हरियाणा शराब लाईसेंस नियम, 1970
एच.एल.ए.डी.टी.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.आर. एक्ट	भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908

आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
भा.नि.वि.श.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
जे.एस.आर.	संयुक्त उप-रजिस्ट्रार
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
एम.ओ.	खनन अधिकारी
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.एस.ई.टी.	प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.पी.जी.टी. एक्ट	पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एफ.आर.	पंजाब वित्तीय नियम
पी.एल.आर. एक्ट	पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
आर.ए. (एम.वी.)	पंजीकरण प्राधिकारी (मोटर वाहन)
आर.आर. एक्ट	राजस्व वसूली अधिनियम, 1890
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.आर.	उप-रजिस्ट्रार
एस.ओ.	अनुभाग अधिकारी
एस.डी.ओ.	उप-मंडल अधिकारी
टी.आई.एन.	करदाता पहचान संख्या
टी.सी.	परिवहन आयुक्त
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यू.एच.टी.	अल्ट्रा उच्च तापमान
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्माण सविदा कर